रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/95

REGISTERED No. DL--33001/95

CENTRAL GOVT. LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 15, 1995 (चैत्र 25, 1917)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15, 1995 (CHAITRA 25, 1917)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधिवत नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	417
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	329
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	7
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	547
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	315
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	329
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अन्यथा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	607
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	83
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला विवरण	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

	PAGE
PART I— SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	417
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	329
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc of Government Officers issued by the Ministry of Defence	547
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	*
PART II—SECTION 3—SUB SECTION. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	315
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	329
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	607
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	53
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 1995

सं० 42 एफ० 18-8/93-टी० ई०-V/टी० एस०—IV—शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने सन्त लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (एस० एल० आई० ई० टी०) लोंगोवाल (पंजाब) द्वारा प्रदान किए जाने वाले 12 प्रमाण-पत्रों और 10 डिप्लोमाओं को उस संस्थान से छात्रों के प्रथम बैच से उत्तीर्ण करने की तारीख अर्थात् 1 नवम्बर 1993 से प्रभावित केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत पदों और सेवाओं में भर्ती के प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है :—

प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

1. इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों की सर्विसिंग तथा अनुरक्षण ।
2. चिकित्सा उपकरणों की सर्विसिंग तथा अनुरक्षण ।
3. टी० वी० मैकेनिक ।
4. डेटा प्रविष्टि आपरेटर्स तथा वर्ड प्रोसेसिंग ।
5. औजार और डाई प्रौद्योगिकी ।
6. खाद्य-संसाधन तथा परिरक्षण ।
7. आटो तथा फार्म उपकरण मैकेनिक ।
8. वैल्डिंग ।
9. ढलाई तथा गढ़ाई ।
10. वातानुकूलन मैकेनिक ।
11. इलेक्ट्रीशियन और
12. भवन-अनुरक्षण ।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

1. इलेक्ट्रानिक्स तथा संचार इंजीनियरी ।
2. संगणक प्रोग्रामिंग और अनुप्रयोग ।
3. इंस्ट्रूमेंटेशन तथा प्लांट इंजीनियरी ।
4. वैल्डिंग प्रौद्योगिकी ।
5. अनुरक्षण तथा प्लांट इंजीनियरी ।
6. ढलाई प्रौद्योगिकी ।
7. संगणक सर्विसिंग तथा अनुरक्षण ।
8. खाद्य संसाधन ।
9. रसायन प्रौद्योगिकी और
10. औद्योगिक तथा उत्पादन इंजीनियरी ।

इसके अतिरिक्त बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों और सेवाओं पर भर्ती के प्रयोजनार्थ सन्त लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान के उपर्युक्त प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों को 10+2 अर्हता के समकक्ष तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को उपयुक्त क्षेत्रों में विभिन्न राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्डों द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमाओं के समकक्ष मान्यता प्रदान की जाए ।

विजय भारत
उप शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) और
सचिव शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 1995

सं० 45 एफ० 15-17/94-टी० एस० IV(.)—शैक्षिक मूल्यांकन निर्धारण बोर्ड की सिफारिश पर भारत सरकार ने निर्णय किया है कि उन विदेशी अर्हताओं को, जिन्हें भारतीय विश्वविद्यालय संघ 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्रदान की गई है/बराबर माना गया है, केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में रोजगार के उद्देश्य से मान्यता-प्राप्त समझा जाएगा । इस प्रकार की विदेशी अर्हताओं की मान्यता के लिए अलग से कोई आदेश (आदेशों) का जारी करने की आवश्यकता नहीं है ।

जे० पी० अग्रवाल
सहायक शिक्षा सलाहकार (तक०)

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1995

सं० 5-1/94-एल० आई०—"ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना 1995" के तहत डाक जीवन बीमा के कार्यक्षेत्र का भारत की ग्रामीण जनता तक विस्तार करते हुए राष्ट्रपति को प्रसन्नता हो रही है।

1. लघु शीर्षक :—इस योजना का शीर्षक "ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना 1995" होगा।

2. प्रारंभ :—"ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना" जिसका आगे "ग्रामीण योजना" के रूप में उल्लेख किया जाएगा जैसा कि अधिसूचित किया गया है दिनांक 24-3-95 से लागू होगी और आरंभ में इसकी अवधि तीन वर्ष होगी। इस योजना के अनुभव और कार्य-निष्पादन की सरकार द्वारा पुनरीक्षा के उपरांत केन्द्र सरकार की विनिर्दिष्ट मंजूरी मिलने पर ही इस योजना को आगे जारी रखा जा सकता है।

3. उद्देश्य :—इस योजना का उद्देश्य सामान्य रूप से ग्रामीण जनता को और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों और महिला श्रमिकों के लिए बीमा की व्यवस्था करना और उन्हें लाभ पहुंचाना है।

4. डाकघर बीमा निधि नियमावली की प्रयोजनीयता :—पी० ओ० आई० एफ० नियमावली, जो समय-समय पर संशोधित होती रही है, आवश्यक परिवर्तन सहित "ग्रामीण योजना" पर लागू होगी, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां इस योजना के तहत विशेष प्रावधान बनाए गए हैं और अधिसूचित किए गए हैं। ऐसे विशेष प्रावधान संबद्ध पी० ओ० आई० एफ० नियमावली के अपवर्जन व अधिक्रमण में लागू होंगे। यदि ग्रामीण योजना के तहत किसी भी नियम की व्यवहार्यता या व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो मामला डाक महानिदेशक को भेज दिया जायेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

5. पात्रता :—

इस योजना में वे सभी व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, शामिल होंगे जो स्थायी रूप से ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और साधारणतया भारत के निवासी हैं, बशर्ते कि वे वयस्कता प्राप्त कर चुके हों। इस योजना में विदेशी और अप्रवासी भारतीय शामिल नहीं हैं।

5.1 तथापि, जहां एक पालिसी धारक, जो भारत का निवासी है, बाद में अपना निवास स्थान अस्थायी या स्थायी रूप से भारत के बाहर स्थानांतरित कर लेता है, उसे भारत में ही विनिर्दिष्ट डाकघर में देय प्रीमियम के भुगतानों का प्रबन्ध कर लेना चाहिए।

5.2 ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपना निवास स्थान भारत से बाहर स्थानांतरित कर लिया है, निपटाए गए सभी दावों का भुगतान डाकघर बीमा निधि नियमावली के अनुसार भारत में केवल भारतीय मुद्रा में ही किया जाएगा।

6. आयु सीमा :—

ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु अपने अगले जन्म दिन पर 19 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं (ए० ई० ए० पालिसियों के मामले में 40 वर्ष) है इस योजना के लिए पात्र होगा।

6.1 प्रस्तावक के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रस्ताव पत्र के साथ आयु संबंधी प्रमाण-पत्र भी विभाग द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार भर कर प्रस्तुत करें।

7. बीमे की सीमाएं :—

इस योजना के तहत बीमे की न्यूनतम सीमा 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) होगी। चिकित्सा योजना के तहत अधिकतम सीमा, सभी योजनाओं के तहत कुल बीमाकृत राशि को मिलाकर 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि, गैर-चिकित्सा योजना के संबंध में, सभी योजनाओं के तहत कुल बीमाकृत राशि को मिलाकर, अधिकतम सीमा 25,000 रु० (पच्चीस हजार रुपये) से अधिक न हो।

8. चिकित्सा परीक्षा :—

डाक जीवन बीमा पर लागू होने वाले चिकित्सा परीक्षा संबंधी नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित "ग्रामीण योजना" पर भी लागू होते हैं। दो प्रकार की पालिसियां अर्थात् चिकित्सा परीक्षा वाली और बिना चिकित्सा परीक्षा वाली, जिन्हें "चिकित्सा" तथा "गैर-चिकित्सा" पालिसियों की संज्ञा दी गई है, "ग्रामीण योजना" के तहत सुलभ होंगी।

8.1 चिकित्सा पालिसी के संबंध में प्रस्तावक के लिए यह आवश्यक है कि वह निकटतम प्राधिकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा परीक्षा करवाएं। ऐसा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी प्रस्तावक की चिकित्सा परीक्षा करने के उपरांत अपनी चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव विभाग को भेजेगा, जिसमें इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि क्या उक्त प्रस्तावक को बीमे की पूरी राशि अदा करने योग्य पाया गया है या नहीं? यदि प्रस्तावक को बीमे के लिए सशर्त रूप से योग्य पाया जाता है तो चिकित्सा अधिकारी उस दुर्बलता या बीमारी के स्वरूप, उसके विस्तार तथा उसके अस्थायित्व या स्थायित्व का विशेष रूप से उल्लेख करेगा जिससे प्रस्तावक पीड़ित (ग्रस्त) है और जो उसकी दीर्घ आयु को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। दुर्बलता (विकृति)/बीमारी के स्वरूप और उसके

विस्तार को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम लेने के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। चिकित्सा अधिकारी की सिफारिशों पर विचार करते हुए, ये सिफारिशें विभाग के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी और यह महानिदेशक डाक या उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करेगा कि वे उन सिफारिशों को मानते हैं या नहीं और ऐसे प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

8.2 गैर-चिकित्सा पालिसियों के संबंध में ऐसी पालिसियों के लिए डाकघर बीमा निधि नियम जो समय-समय पर संशोधित हुए हैं, जिसके निबंधन और शर्तें आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी, केवल उन मामलों को छोड़कर जो दूसरे प्रकार से विनिर्दिष्ट हैं।

9. बीमा योजनाएं :—

सभी मौजूदा डाक जीवन बीमा योजनाएं "ग्रामीण योजना" के अंतर्गत सुलभ रहेंगी, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :—

(i) आजीवन बीमा योजना
(ii) परिवर्तनीय आजीवन बीमा योजना
(iii) बंदोबस्ती बीमा योजना
(iv) प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा योजना

तथापि, ग्रामीण जनता, विशेष रूप से कमजोर वर्गों व कामकाजी महिलाओं की विशेष बीमा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, समय-समय पर "ग्रामीण योजना" के तहत अन्य उपयुक्त योजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं।

10. एजेंटों को लाइसेंस देना :—

अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर तथा अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टर और चुनिंदा विभागीय उप पोस्टमास्टर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में "ग्रामीण योजना" के तहत बीमा व्यवसाय के प्रापण के लिए एजेंटों के बतौर कार्य करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

11. एजेंसी कमीशन :—

ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर, अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टर और उप पोस्टमास्टर जो बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं ऐसे "कमीशन की प्राप्ति" के लिए पात्र होंगे जो समय-समय पर डाक महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया गया है। व्यवसाय-प्रापण पर आधारित ऐसे कमीशन के अतिरिक्त जो प्राधिकृत एजेंट कथित योजना के तहत बाद का प्रीमियम एकत्र करता है वह भी "प्रीमिया एकत्रण प्रोत्साहन" का उन्हीं दरों पर पात्र होगा जो समय-समय पर डाक महानिदेशक ने निर्धारित की हैं।

12. प्रस्तावक का दायित्व :—

बीमा करवाने के लिए प्रस्तावक विभाग द्वारा निर्धारित/प्रस्ताव फार्म स्वयं या अपने एजेंट के माध्यम से भर सकता/सकती है और उक्त प्रस्ताव फार्म पर हस्ताक्षर कर सकता/कर सकती है या यदि वह अनपढ़ है तो फार्म पर अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगा सकता/सकती है जो इस बात का द्योतक है कि उसे इस संबंध में सभी निबंधन व शर्तें मान ली हैं और उक्त प्रस्ताव फार्म में सही तथा तथ्यात्मक जानकारी दी है। जहां प्रस्तावक ने अपने अंगूठे का निशान लगाया है वहां एक साक्षर गवाह उस निशान की गवाही देगा, जो किसी भी प्रकार से विभाग से सम्बन्धित नहीं है। गलत या भ्रामक सूचना से करार डाक महानिदेशक के विवेकाधिकार के आधार पर रद्द भी हो सकता है और उक्त प्रस्तावक द्वारा जो भुगतान किए गए होंगे, उनकी राशि भी जब्त हो सकती है।

12.1 जहां प्रस्तावक प्रस्ताव फार्म की भाषा से भिन्न भाषा में प्रस्ताव फार्म हस्ताक्षरित करता है वहां वह उस भाषा में, जिसमें उसने हस्ताक्षर किए हैं, यह घोषणा करेगा कि उसने इस फार्म में दिए गए सभी ब्यौरों को समझने के उपरांत ही हस्ताक्षर किए हैं। यह घोषणा उसके हस्ताक्षरों के ऊपर प्राप्त की जाएगी।

ऐसी सभी घोषणाओं के साथ वह व्यक्ति भी घोषणा करेगा जिसने प्रस्ताव फार्म भरा है।

13. जानकारी एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करना :—

प्रस्तावक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निजी और पारिवारिक चिकित्सक सहित ऐसे स्रोतों से, विभाग जैसा आवश्यक समझे, अपनी उम्र, निजी, पारिवारिक और चिकित्सा पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग को प्राधिकृत करेगा।

14. प्रीमियम की दर :—

"ग्रामीण योजना" के तहत विभिन्न योजनाओं पर लागू प्रीमियम की दरें उन मामलों को छोड़कर जिनके किसी "ग्रामीण योजना" के लिए प्रीमियम की विभिन्न दरें विशेष रूप से निर्धारित हों, डाक जीवन बीमा योजनाओं की विभिन्न योजनाओं के तहत विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रीमियम सारणी के अनुसार होंगी।

15. प्रीमियम का भुगतान :—

कोई प्रस्तावक या बीमाधार इस उद्देश्य से चुने गए और विभाग द्वारा विधिवत् स्वीकृत विशिष्ट प्रधान डाकघर, उप डाकघर और शाखा डाकघर में ही अपना प्रीमियम जमा करेगा। चुने गए डाकघर में किसी अनुवर्ती परिवर्तन होने पर सम्बन्धित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

15.1 प्रस्तावक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अपनी सुविधा के अनुसार प्रीमियम के भुगतान की आवृत्तिता (यथा मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक) चुन सकता है और सामान्य रूप से उसे इस अवृत्तिता में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बीमादार प्रीमियम के भुगतान की आवृत्तिता में बाद में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे सम्बन्धित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल या उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

15.2 उपर्युक्त के बावजूद जैसाकि डाकघर बीमा निधि नियमावली के तहत निर्धारित किया गया है, कोई बीमादार किसी भी समय अग्रिम प्रीमियम का भुगतान कर सकता है और अनुमत छूट का लाभ उठा सकता है।

16. पहले अन्तरिम प्रीमियम का भुगतान :—

कोई प्रस्तावक अपनी प्रस्तावित पालिसी के पहले प्रीमियम के बराबर रकम चाहे डाकघर में सीधे या विभाग के प्राधिकृत एजेंट के द्वारा इस स्पष्ट जानकारी के साथ जमा कर सकता है कि जब तक डाक महानिदेशक या उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उसकी पालिसी स्वीकार नहीं कर ली जाती है तब तक उसके जीवन का जोखिम नहीं उठाया जाएगा। पहले अन्तरिम प्रीमियम के भुगतान होने के बावजूद प्रस्ताव की स्वीकृति से पूर्व विभाग दावों के सम्बन्ध में कोई देयता स्वीकार नहीं करेगा।

17. प्रस्तावों की जांच :—

एजेंट प्रस्तावों के ब्यौरे अपने-अपने एस० डी० आई०/सहायक अधीक्षक को जांच के लिए अग्रेषित करेंगे। एस० डी० आई०/सहायक अधीक्षक जिन ब्यौरों की जांच करना आवश्यक समझेंगे विशेष रूप से पहचान, उम्र व्यावसायिक और नैतिक जोखिम निजी और पारिवारिक इतिहास तथा अपराधिक या गैर कानूनी कार्यकलाप में प्रस्तावक का शामिल होना या शामिल होने का सन्देह होना उनकी जांच करेंगे। इसके बाद वे प्रस्ताव सहित एक गोपनीय रिपोर्ट मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को भेजेंगे। एस० डी० आई० को इस कार्य के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

18. जोखिम उठाने की शुरुआत :—

प्रस्तावक के जीवन का जोखिम उस तारीख से उठाया जाएगा जिस तारीख से पालिसी स्वीकार कर ली जाएगी या, पहले प्रीमियम का पूरा-पूरा भुगतान कर दिया जाएगा जो बाद में हो।

19. जीवन का बीमा करना :—

डाक महानिदेशक या मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अपनी ओर से केवल ऐसे ही जीवन का बीमा करेंगे जो प्रीमियम की सामान्य सारणीबद्ध दरों पर मान्य पाए जाएंगे। अन्य सभी मामलों में (उन मामलों को छोड़कर जो बीमे के लिए उपयुक्त नहीं पाये जाएंगे) प्रस्तावक से अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाएगा।

20. हस्तांतरण और नामांकन :—

"ग्रामीण योजना" के तहत पालिसियों का हस्तांतरण और नामांकन आवश्यक परिवर्तनों सहित हस्तांतरण और नामांकन संबंधी डाकघर बीमा निधि नियमावली के तहत विनियमित किया जाएगा।

21. प्रस्तावों की अस्वीकृति :—

महानिदेशक डाक या मुख्य पोस्टमास्टर जनरल या उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे किसी प्रस्ताव को कारण बताए बिना अस्वीकृत कर दें।

22. ऋण प्रदत्त मूल्य और समर्पण मूल्य :—

ऋण प्रदत्त मूल्य या समर्पण मूल्य के रूप में देय रकम का निर्धारण डाकघर बीमा निधि नियमावली के अनुसार किया जाएगा।

23. पालिसी व्ययगत होना दावा फिर से चालू होना तथा उसका निपटान :—

जो पालिसी ग्रेस की अवधि के भीतर किसी प्रीमियम के भुगतान नहीं होने के कारण चालू नहीं रहती है उसे व्ययगत और रद्द माना जाएगा तथा उसका निपटान करने या उसे फिर से चालू करने के लिए उसे संबंधित डाकघर बीमा निधि नियमावली के अनुसार विनियमित किया जाएगा। किसी रद्द पालिसी या किसी अन्य पालिसी के संबंध में जिसमें इस योजना या डाकघर बीमा निधि नियमावली के तहत नियमों के उल्लंघन किए गए हैं कोई दावे चाहे वे जो भी हों विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

24. आत्महत्या के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले दावे :—

यदि पालिसी धारक पालिसी की स्वीकृति के दो वर्षों के भीतर आत्महत्या कर लेता है तो विभाग पर कोई दावा नहीं किया जा सकेगा और दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

25. फेरबदल :—

महानिदेशक डाक या उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेक पालिसी धारक द्वारा पालिसी में उचित फेरबदल करने के अनुरोध को मंजूर कर सकते हैं।

26. बोनस :—

विभाग समय-समय पर विभिन्न ग्राम योजनाओं पर देय बोनस की दरों की घोषणा करेगा और सभी दावे इसी बोनस के आधार पर निश्चित किए जाएंगे।

35. डाकघर बीमा निधि-ग्रामीण निधि का पोषण, संचालन और निर्धारण :—

उक्त योजना के संबंध में "डाकघर बीमा निधि-ग्रामीण" नामक एक पृथक निधि पोषित की जाएगी। इस निधि का संचालन, निर्धारण तथा निवेश, डाकघर बीमा निधि के समान ही होगा।

28. संविदा की शर्तों में फेरबदल करने का अधिकार :—

राष्ट्रपति के पास जैसा वे आवश्यक समझें, नियमों में या भुगतान किए जाने वाले प्रीमियमों में समय-समय पर संवर्धन या फेरबदल करने का अधिकार सुरक्षित है बशर्ते कि पालिसी की किसी संविदा की वे शर्तें इस संवर्धन या फेरबदल से दुष्प्रभावित न हों जो संविदा बनाने के समय प्रभावी इस या किसी अन्य नियमों के तहत किसी व्यक्ति ने महानिदेशक डाक के साथ तय किया है जब तक कि उक्त व्यक्ति ने इस संवर्धन या फेरबदल के लिए लिखित में अपनी सहमति न दी हो।

मीरा दत्ता
निदेशक (डाक जीवन बीमा)

राष्ट्रपति "दस वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना" की एक नई स्कीम की सहर्ष घोषणा करते हैं। यह दिनांक 24-3-95 से प्रभावी होगी।

2. यह योजना अधिसूचित "ग्रामीण जीवन बीमा योजना 1995" के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार चलाई जाएगी।

3. योजना की मुख्य विशेषताएं :—

(i) निबंधन :—

इस योजना के अन्तर्गत एक पालिसी दस वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

(ii) बीमा की धनराशि की सीमा :—

इस योजना के अन्तर्गत पालिसी जारी करने के लिए कम से कम 10,000 की राशि तथा अधिक से अधिक 1 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। ऐसा उन मामलों में किया जाता है जब निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के बाद पालिसी जारी की जाती है और उसे उपयुक्त घोषित किया जाता है तथा गैर चिकित्सा स्कीम के अन्तर्गत 25,000 (पच्चीस हजार रुपये) जमा किए जाते हैं।

(iii) आयु सीमा :—

ऐसे व्यक्ति जो अपने अगले जन्म दिन पर 19 वर्ष से कम अथवा 45 वर्ष से अधिक न हों, इस योजना के लिए पात्र होंगे। उन्हें विभाग की संतुष्टि के लिए आयु संबंधी पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iv) प्रीमियम का भुगतान :—

अपने प्रीमियम का भुगतान करने के लिए बीमाधारक अपनी सुविधानुसार मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक आदि किश्तों का चयन कर सकते हैं। मासिक, तिमाही, छमाही, वार्षिक आधार पर प्रीमियम का भुगतान करने के लिए संबंधित सारणी (संलग्न) "क" में दी गई है। प्रीमियम के भुगतान के लिए एक बार चुनी गई अवधि में मुख्य पोस्ट-मास्टर जनरल की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का हेर-फेर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रीमियम निश्चित की गई बढ़ोत्तरी अवधि के भीतर ही देय होगा।

(v) प्रीमियम पर छूट :—

ऐसे मामलों में जहां प्रीमियम का भुगतान प्रतिमाह अग्रिम रूप से किया जाता है, बीमाधारक कई महीनों का प्रीमियम लेकिन तीन माह से कम का नहीं, एक साथ जमा कर सकता है। 3-5 माह के देय प्रीमियम का अग्रिम भुगतान करने पर उसे प्रीमियम राशि पर 0.5 प्रतिशत, 6-11 माह के देय प्रीमियम का अग्रिम भुगतान करने पर प्रीमियम राशि पर एक प्रतिशत की छूट तथा 12 माह या उससे अधिक देय प्रीमियम का अग्रिम भुगतान करने पर प्रीमियम राशि पर 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

(vi) आवधिक उत्तरजीविता लाभ :—

यदि बीमाधारक विशेष अवधि तक जीवित रहता है तो इस योजना के तहत आवधिक उत्तरजीविता लाभों को दो किश्तें, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, बीमित राशि के प्रतिशत के बतौर बीमाधारक को देय होंगी तथा शेष धन-राशि का भुगतान बीमित राशि पर प्रोद्भूत बोनसों सहित, परिपक्वता के समय किया जाएगा :—

(क) यदि बीमित, पालिसी की स्वीकृति की तारीख से 4 वर्ष की समाप्ति तक जीवित रहता है तो बीमित राशि का 20%।

(ख) यदि बीमित व्यक्ति, पालिसी की स्वीकृति की तारीख से 7 वर्ष की समाप्ति तक जीवित रहता है तो बीमित राशि का 20%।

(ग) यदि बीमित व्यक्ति, परिपक्वता की तारीख तक जीवित रहता है तो प्रोद्भूत बोनसों सहित बीमित राशि का 60%।

(vii) मृत्यु—दावे :—

यदि बीमाधारक की पालिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय तथा पालिसी की परिपक्वता की अवधि से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पूरी बीमित राशि / प्रोद्भूत बोनस सहित देय होगी, भले ही किसी आवधिक उत्तरजीविता लाभ का

बीमाधारक को उसकी मृत्यु की उक्त तारीख से पूर्व पहले ही भुगतान किया जा चुका हो ।

(viii) ऋण अनुमेय नहीं :—

इस योजना के अन्तर्गत दिए गए आवधिक उत्तर-जीविता बीमा लाभों को मद्देनजर रखते हुए कोई ऋण नहीं दिया जाएगा ।

(ix) पालिसी के निबंधन में हेर-फेर :—

पालिसी स्वीकार करने के पश्चात् ऐसा कोई परिवर्तन जो पालिसी के निबंधन को प्रभावित करता है, या पालिसी को दूसरी योजनाओं में सम्मिलित करने या हेर-फेर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(x) प्रदत्त पालिसियां :—

परिपक्वता तिथि से पहले किन्तु पालिसी स्वीकार करने की तारीख से न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे प्रीमिया के भुगतान से पूर्व नहीं, यदि प्रीमिया का भुगतान समाप्त हो जाता है तो पालिसी को प्रदत्त माना जाएगा और योजना तालिका "ख" पर लागू प्रदत्त मूल्य केवल परिपक्वता के समय या पालिसी धारक की मृत्यु के समय ही, इनमें से जो भी पहले हो, देय होगा । ऐसे मामलों में जहां प्रीमिया का भुगतान रोक दिया गया है या पालिसी प्रदत्त हो गई है उत्तरजीविता लाभों के कारण कोई आवधिक भुगतान देय नहीं होंगे ।

(xi) विशेष लाभ :—

इस "योजना" के अन्तर्गत ऐसे मामलों में जहां बीमित व्यक्ति, बाढ़, सूखा या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप अपनी पालिसी पर देय प्रीमिया का भुगतान करने में असमर्थ है, क्योंकि वह जिस क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है, वह क्षेत्र ऐसी प्राकृतिक विपदा की चपेट में आ गया है, तो प्रोद्भूत प्रीमिया के बकाया के संबंध में उससे कोई ब्याज/जुर्माना नहीं लिया जाएगा, बशर्ते कि उक्त स्थायी निवास की घोषणा उसने अपने प्रस्तावक फार्म में की हो । पालिसी धारक इस देय प्रीमिया का भुगतान ऐसी प्राकृतिक आपदा के घटित होने की तारीख के बाद अधिक से अधिक 12 माह की अवधि तक कर सकता है । मुख्य पोस्टमास्टर जनरल प्रीमिया की ऐसी बकाया राशि के अधिक से अधिक 6 किश्तों में भुगतान की अनुमति प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते कि बीमित व्यक्ति ऐसा चाहे ।

ऐसे मामलों में जहां बीमाधारक की मृत्यु प्राकृतिक आपदा की तिथि से 12 महीने के भीतर हो जाती है और जहां ऐसी प्राकृतिक आपदा के कारण समय से प्रीमियम का भुगतान नहीं हो पाता है तो पालिसी चालू मानी जाएगी और विभाग द्वारा दावे का निपटान किया जाएगा । तथापि, ऐसे मामलों में जहां ऐसी प्राकृतिक आपदा शुरू होने या उसके 12 महीने के पश्चात् तक प्रीमियम बकाया रहता है तो दावे इस छूट के अन्तर्गत नहीं आते हैं और उन्हें सामान्य नियमों के अन्तर्गत दूसरे मामलों की तरह माना जाएगा ।

ऐसे मामलों में जहां मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ने प्रीमियम के बकाया का भुगतान किश्तों में करने की अनुमति दी है और प्रीमियम के बकाया की पहली किश्त के भुगतान के पश्चात् बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पालिसी को चालू माना जाएगा और विभाग द्वारा उसका संचालन किया जाएगा बशर्ते मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा किश्तों में जमा करने की छूट दी गई प्रीमियम के बकाया के अतिरिक्त दूसरी नियमित प्रीमियम का भुगतान पालिसी धारक द्वारा नियमित रूप से किया गया हो ।

उपर्युक्त सभी मामलों में प्रीमियम का बकाया पालिसी धारक के कानूनी वारिस/नामित व्यक्ति को देय दावे की राशि में से वसूल किया जाएगा ।

बीमित व्यक्ति द्वारा जिलाधिकारी से प्राप्त इस आशय की पुष्टि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा का प्रकोप हुआ था जिसमें बीमित व्यक्ति के परिवार में जनधन की हानि हुई थी ।

धीरा दत्ता
निदेशक (डाक जीवन बीमा)

सारणी—"क"

दस वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना

1000 (एक हजार) रुपये तक के बीमा के लिए देय प्रीमियम सारणी (अन्तरिम)

1000 रुपये तक के प्रत्यासित बंदोबस्ती बीमा लाभ सहित जहां उत्तरजीविता के चार वर्ष समाप्त होने पर 200 रुपये का भुगतान किया जाएगा । उत्तरजीविता के 7 वर्ष समाप्त होने पर 200 रुपये का भुगतान किया जाएगा, उत्तरजीविता के 10 वर्ष की समाप्ति पर बोनस के साथ 600 रुपये का भुगतान किया जाएगा ।

बीमित की किसी भी समय मृत्यु हो जाने पर बोनस सहित 1000 रुपये का भुगतान किया जाएगा । इस मामले में इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि कितनी किश्तों का भुगतान पहले किया गया है ।

आयु	वार्षिक	अर्ध-वार्षिक	तिमाही	मासिक
20	114.45	57.70	29.00	9.70
21	114.55	57.75	29.00	9.70
22	114.60	57.80	29.05	9.70
23	114.65	57.80	29.05	9.70
24	114.65	57.85	29.05	9.70
25	114.80	57.90	29.10	9.70
26	114.85	57.90	29.10	9.70
27	114.95	57.95	29.10	9.75
28	115.05	58.00	29.15	9.75
29	115.20	58.10	29.20	9.75
30	115.30	58.15	29.20	9.75
31	115.45	58.20	29.25	9.75
32	115.60	58.30	29.30	9.80
33	115.75	58.35	29.30	9.80
34	115.90	58.45	29.35	9.80
35	116.00	58.50	29.40	9.80
36	116.15	58.55	29.40	9.85
37	116.30	58.65	29.45	9.85
38	116.40	58.70	29.50	9.85
39	116.50	58.75	29.50	9.85
40	116.55	58.75	29.50	9.85
41	117.10	59.05	29.65	9.90
42	117.75	59.35	29.80	9.95
43	118.40	59.70	30.00	10.00
44	119.10	60.05	30.15	10.05
45	119.80	60.40	30.35	10.15
46	120.50	60.75	30.50	10.20
47	121.20	61.10	30.70	10.25
48	121.85	61.40	30.85	10.30
49	122.40	61.70	31.00	10.35
50	122.75	61.85	31.05	10.40

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त तालिका के संदर्भ में पालिसी करवाने के समय "आयु" से आशय प्रथम प्रीमियम के भुगतान की तारीख से आगामी जन्मदिवस को होने वाली आयु से है।

2. 20000/– रुपये या उससे अधिक की राशि की पालिसी पर बीमित राशि के प्रति 20000/– रुपये पर 1 रुपये प्रति माह की छूट स्वीकार्य है ।

3. तालिका के उद्देश्य के लिए "पालिसी करवाने की न्यूनतम आयु" 19 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी ।

4. न्यूनतम बीमित राशि 10000/– रुपये किन्तु बीमा की सभी श्रेणियों को मिलाकर 1 लाख रुपये कुल राशि से अधिक नहीं होगी ।

5. पालिसियां 5000/– रुपये की यूनिटों में करवाई जा सकती है किन्तु पालिसी कम से कम 10000/– रुपये होनी चाहिए ।

सारज—"ख"

ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना

प्रत्याशित बंदोबस्ती पालिसियों के लिए भुगतान योग्य मूल्य सारणी

1000 रुपये के प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा लाभ सहित जहां,

उत्तर जीविता के चार वर्ष की समाप्ति पर 200 रु० का भुगतान किया जाएगा।

उत्तरजीविता के सात वर्ष की समाप्ति पर 200 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

उत्तरजीविता के दस वर्ष समाप्ति पर बोनस सहित 600 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

बीमित व्यक्ति की किसी समय मृत्यु होने पर बोनस सहित 1000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

इस मामले में इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि कितनी किस्तों का भुगतान पहले किया गया है।

प्रीमियम की संख्या	भुगतान मूल्य	प्रीमियम की संख्या	भुगतान मूल्य	प्रीमियम की संख्या	भुगतान मूल्य
30	150	60	220	90	300
31	160	61	230	91	310
32	170	62	240	92	320
33	180	63	250	93	330
34	190	64	260	94	340
35	200	65	270	95	350
36	210	66	280	96	360
37	220	67	290	97	370
38	230	68	300	98	380
39	240	69	310	99	390
40	250	70	320	100	400
41	260	71	330	101	410
42	270	72	340	102	420
43	280	73	350	103	430
44	290	74	360	104	440
45	300	75	370	105	450
46	310	76	380	106	460
47	320	77	390	107	470
48	100	78	400	108	480
49	110	79	410	109	490
50	120	80	420	110	500
51	130	81	430	111	510
52	140	82	440	112	520
53	150	83	450	113	530
54	160	84	240	114	540
55	170	85	250	115	550
56	180	86	260	116	560
57	190	87	270	117	570
58	200	88	280	118	580
59	210	89	290	119	590

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1995

संकल्प

सं० ई०-11011/20/92-हिन्दी--भारत सरकार ने नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) के लिए "नागर विमानन हिन्दी सलाहकार समिति" का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है । समिति का गठन, कार्य आदि निम्नलिखित होंगे :--

1. गठन

1. नागर विमानन और पर्यटन मंत्री — अध्यक्ष

लोक सभा से दो संसद सदस्य :

2. श्री अंकुश राव साहेब टोपे, — सदस्य
संसद सदस्य,
159 साउथ एवेन्यू
नई दिल्ली ।

3. श्री लक्ष्मण सिंह, — सदस्य
संसद सदस्य,
121 साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली ।

राज्य सभा से दो संसद सदस्य :

4. श्रीमती इला पाण्डा, — सदस्य
संसद सदस्य,
12, मीना बाग,
नई दिल्ली ।

5. श्री प्रभाकर बी० कोरे, — सदस्य
संसद सदस्य,
129-131 नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली ।

संसदीय राजभाषा समिति के संसद सदस्य :

6. श्री उदय प्रताप सिंह, — सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
84, नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली ।

7. श्री जगदीश प्रसाद माथुर, — सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
10 राजेन्द्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली ।

गैर सरकारी सदस्य :

8. प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, — सदस्य
एक्स वाई०-68,
सरोजनी नगर,
नई दिल्ली ।

9. श्री ए० ए० के० वेलायुधन नायर, — सदस्य
सचिव,
अखिल भारतीय संस्था संघ एवं केरल हिन्दी
प्रचार सभा,
तिरुवनन्तपुरम

10. डा० इकबाल अहमद, — सदस्य
प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग,
कालीकट विश्वविद्यालय,
कालीकट, केरल ।

11 श्री वेद भसीन
मुद्रक,
प्रकाशक तथा संपादक,
"दैनिक कश्मीर टाइम्स"
(जम्मू), शहीदी चौक,
जम्मू ।

12. श्री दलीप कुमार, — सदस्य
विशेष संवाददाता,
"स्वतंत्र भारत",
,112, अनुपम अपार्टमैंट,
एम० बी० रोड,
साकेत,
नई दिल्ली

13. सुश्री पूनम शुक्ल, — सदस्य
संवाददाता दूरदर्शन केन्द्र,
आकाशवाणी भवन,
नई दिल्ली ।

14. श्री सियाराम यादव, — सदस्य
प्रोफेसर,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

15. श्री अमित शर्मा, — सदस्य
काया-माया आयुर्वेदिक अस्पताल,
एम० आई० तुगलकाबाद,
एम० बी० रोड,
नई दिल्ली

16. श्री इरफान-उर-रहमान खान, — सदस्य
एम० एल० सी०,
स्टेशन रोड
परभणी-431401 (महाराष्ट्र) ।

सरकारी सदस्य

17. सचिव, — सदस्य
नागर विमानन ।

18. सचिव, — सदस्य
राजभाषा विभाग और भारत सरकार के
हिन्दी सलाहकार ।

19. संयुक्त सचिव (बी० के०), नागर विमानन विभाग । — सदस्य
20. संयुक्त सचिव (भा०), नागर विमानन विभाग । — सदस्य
21. संयुक्त सचिव (वित्त), नागर विमानन विभाग । — सदस्य
22. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग । — सदस्य
23. निदेशक (प्रशासन)/ उप सचिव (प्रशासन), नागर विमानन विभाग — सदस्य
24. निदेशक, (राजभाषा), नागर विमानन विभाग — सदस्य
25. महानिदेशक, नागर विमानन, नई दिल्ली । — सदस्य
26. आयुक्त, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली — सदस्य
27. मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त, लखनऊ । — सदस्य
28. अध्यक्ष, एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड । — सदस्य
29. प्रबन्ध निदेशक, एयर इंडिया लिमिटेड, बम्बई । — सदस्य
30. प्रबन्ध निदेशक, ईंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, नई दिल्ली । — सदस्य
31. प्रबन्ध निदेशक, पवनहंस लिमिटेड, नई दिल्ली ।
32. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय होटल निगम, बम्बई । — सदस्य
33. अध्यक्ष, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली । — सदस्य
34. अध्यक्ष, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली । — सदस्य
35. निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुर्सतगंज, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश । — सदस्य

नागर विमानन विभाग में राजभाषा का कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे ।

2. समिति के कार्य :

समिति का काम राजभाषा संबंधी संविधान, अधिनियम व नियमों के उपबंधों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन के बारे में और नागर विमानन विभाग के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना है ।

3. कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि :—

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे ।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही इस समिति के सदस्य रहेंगे ।

(ग) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता के त्याग पत्र दे देने के कारण स्थान खाली हो जाता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्षों के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा ।

4. भत्ते

गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की तथा इसकी उप-समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिए जाएंगे ।

5. मुख्यालय :

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी बुला सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

रघुनाथ सहाय
निदेशक (राजभाषा)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल, 1995

सं० 11013/1/94—आई० ई० एस०—निम्नलिखित सेवाओं में ग्रेड–4 की रिक्तियों को भरने के लिए 1995 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(1) भारतीय अर्थ सेवा, और

(2) भारतीय सांख्यिकीय सेवा

2. परीक्षा परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार द्वारा यथानिर्धारित रूप में किया जाएगा।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट–1 में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. उम्मीदवार को या तो :—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जांबिया, मालावी, जेरे तथा इथोयोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हो।

परन्तु उपरोक्त (ख), (ग), (घ), और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, किन्तु भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है।

5. (क) उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु 1 जनवरी, 1995 को 21 वर्ष की होनी चाहिए किन्तु 28 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1967 से पहले और 1 जनवरी, 1974 के बाद का न हो।

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(2) यदि उम्मीदवार कुवैत या इराक से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो इन देशों में से किसी देश से 15 मई, 1990 के बाद लेकिन 22 नवम्बर, 1991 से पहले प्रव्रजन कर चुका हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और कुवैत या इराक से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो इन देशों में से किसी देश से 15 मई, 1990 के बाद लेकिन 22 नवम्बर, 1991 से पहले प्रव्रजन कर चुका हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

(4) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशान्तिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(5) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशान्तिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

(6) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशनप्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशनप्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1995 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1995 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है) या (2) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(7) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशनप्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशनप्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशनप्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1995 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर, बर्खास्त न हो कर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1995 से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है) या (2) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं तथा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक।

(8) आपातकालीन कमीशनप्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशनप्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने 1 जनवरी, 1995 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष तक।

(9) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे आपातकालीन कमीशनप्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशनप्राप्त अधिकारियों के उन मामलों में जिन्होंने 1 जनवरी, 1995 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 10 वर्ष तक।

(10) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के मामले में, जो ऐसे उम्मीदवारों पर लागू होने वाले आरक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं, अधिकतम तीन वर्ष तक।

टिप्पणी 1 : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक, (सिविल सेवा तथा पदों में पुनर्रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है।

टिप्पणी 2 : नियम 5 (ख) (2) से 5(ख) (9) के अंतर्गत आने वाले वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध नहीं हैं यदि उन्होंने आयु छूट प्राप्त करने के बाद सिविल क्षेत्र में कोई सरकारी नौकरी पहले से ही ले ली है, तो वे आयु सीमा में छूट के लिए पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जायेगी।

6. परीक्षा में प्रवेश हेतु भारतीय अर्थ सेवा के लिए उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम, द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं की अर्थशास्त्र या सांख्यिकी विषय सहित डिग्री होनी चाहिए और भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए उम्मीदवारों के पास सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र सहित डिग्री अथवा उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

टिप्पणी–1 : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को, यदि अन्यथा पात्र होंगे तो, परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन पत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी 2 : विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

टिप्पणी 3 : जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की ऐसी डिग्री है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विवेक पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

7. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी।

8. सभी उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से

या कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहें हैं अथवा जो सरकारी उद्यमों में कार्यरत हैं उन्हें यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकने हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. किसी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने और परीक्षा में प्रवेश के लिए उसकी योग्यता या अयोग्यता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

11. जिस उम्मीदवार ने—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया हो, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख किए हैं जिनमें तथ्यों में फेरबदल किया गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया हो, अथवा

(6) परीक्षा में उम्मीदवारी के संबंध में किन्हीं अन्य अनियमित, अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(8) उत्तर-पुस्तिकाओं में असंगत बातें लिखीं हों, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(11) उम्मीदवारों को भेजे गए परीक्षा की अनुमति विषयक प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा

(12) पूर्वोक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने या करने के लिए प्रप्रेरित करने का प्रयास किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से

अपवर्जित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक :—

(1) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो; और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

12. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा।

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों, इन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाये जा सकेंगे तो आयोग द्वारा स्तर में ढील देकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है।

13. (1) साक्षात्कार के बाद आयोग प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंतिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उम्मीदवारों की सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जिन्हें आयोग योग्य समझेगा उनकी उन अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करेगा जिन्हें इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरा जाना है।

(2) किसी भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक स्तर में छूट देकर आयोग द्वारा उनकी अनुशंसा की जा सकती है बशर्ते कि ये उम्मीदवार सेवाओं में चयन के लिए उपयुक्त हों।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के जिस उम्मीदवार को इस उप नियम में उल्लिखित छूट दिए बिना आयोग द्वारा अनुशंसा की गई हो उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा।

14. प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा तथा आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

15. कोई भी उम्मीदवार नियमों के अनुसार पात्र होने पर किसी एक सेवा या दोनों सेवाओं के लिए प्रतियोगी हो सकता है। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त कर लेता है उसे विस्तृत आवेदन प्रपत्र में उन सेवाओं के वरीयता क्रम का स्पष्ट रूप में उल्लेख करना होगा जिनके लिए वह विचार किए जाने का इच्छुक है, ताकि नियुक्ति करते समय योग्यता क्रम में उसके रैंक को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा दर्शायी गई वरीयता पर यथोचित रूप से विचार किया जा सके।

विशेष ध्यान (i) : उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र में दर्शायी गई वरीयताओं में परिवर्धन/परिवर्तन करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा।

विशेष ध्यान (ii) दोनों सेवाओं के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को वास्तव में योग्यता सूची में उनके क्रम, उनके द्वारा दर्शायी गई वरीयताओं तथा रिक्तियों की संख्या के अनुसार ही सेवाओं के लिए आबंटित किया जाएगा।

16. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

17. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाए कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता तो नियुक्ति नहीं की जाएगी। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा कराई जा सकती है।

टिप्पणी :—कहीं निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवार की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, उसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट–3 में दिए गए हैं। रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त हुए सैनिकों को सेवाओं की आवश्यकता के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी।

18. जिस व्यक्ति ने—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पहले जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया है।

तो वह उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19. इस परीक्षा के माध्यम से जिस सेवा/जिन सेवाओं के संबंध में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 2 में दिया गया है।

एस० नायक,
उप आर्थिक सलाहकार

परिशिष्ट–1

परीक्षा की योजना

खण्ड–I

यह परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार संचालित होगी।

भाग 1—नीचे दिखाए गए विषयों में एक लिखित परीक्षा जिसके पूर्णांक 900 होंगे ।

भाग 2—आयोग द्वारा जिस उम्मीदवार को बुलाया जाता है उनके लिए मौखिक परीक्षा जिसके पूर्णांक 250 होंगे ।

भाग–I

भाग–1 के अन्तर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय, प्रत्येक विषय के प्रश्न-पत्र के लिए निर्धारित पूर्णांक और समय का विवरण इस प्रकार है :—

क्र० सं०	विषय	कोड सं०	अधिकतम अंक	दिया गया समय
क. भारतीय अर्थ सेवा				
1.	सामान्य अंग्रेजी	01	150	3 घंटे
2.	सामान्य अध्ययन	02	150	3 घंटे
3.	सामान्य अर्थशास्त्र–I	11	200	3 घंटे
4.	सामान्य अर्थशास्त्र-II	12	200	3 घंटे
5.	भारतीय अर्थशास्त्र	13	200	3 घंटे
ख. भारतीय सांख्यिकीय सेवा				
1.	सामान्य अंग्रेजी	01	150	3 घंटे
2.	सामान्य अध्ययन	02	150	3 घंटे
3.	सांख्यिकी-I	21	200	3 घंटे
4.	सांख्यिकी-II	22	200	3 घंटे
5.	सांख्यिकी-III	23	200	3 घंटे

नोट :—परीक्षा के लिए निर्धारित स्तर तथा पाठ्यक्रम का विवरण नीचे खण्ड-2 में दिए गए हैं।

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्र परंपरागत (निबंध) प्रकार के होंगे ।

3. सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखने चाहिए। प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे ।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है ।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक न हो तो उसको मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे ।

7. केवल सनही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे ।

8. कम से कम शब्दों में सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और सही ढंग से की गई अभिव्यंजना को श्रेय दिया जाएगा ।

9. प्रश्न-पत्रों में जहां आवश्यक हो तोलों और मापों की केवल मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ।

10. उम्मीदवारों को बैटरी से चलने वाले पाकेट कैल-कुलेटर परीक्षा भवन में लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन में किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं है ।

11. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6, आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए ।

भाग–2

मौखिक परीक्षा—उम्मीदवार का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिनके सामने जम्मीदवार का सर्वांगीण जीवनवृत्त होगा । साक्षात्कार का उद्देश्य उक्त सेवा या सेवाओं के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता जांचना होगा । साक्षात्कार उम्मीदवार की सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान के परीक्षण तथा क्षमता को जांचने के लिए लिखित परीक्षा के अनुपूरक के रूप में होगा। उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि वे केवल अपने विद्याध्यन के विशेष विषयों में ही सूझ-बूझ के साथ रुचि न लेते हों, अपितु उन घटनाओं में भी रुचि लेते हों, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधाराओं और उन नई खोजों में रुचि लें जिनके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती हैं ।

साक्षात्कार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं अपितु, स्वाभाविक निर्देशित और प्रयोजन युक्त वार्तालाप की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझने की शक्ति को अभिव्यक्त करना है । बोर्ड द्वारा जम्मीदवारों की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, सतुलित निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, चारित्रिक ईमान-दारी, नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा ।

खण्ड–2

परिक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट से अपेक्षित स्तर के होंगे । अन्य विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित विषयों में किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री परीक्षा के समकक्ष होंगे । उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सिद्धांत को तथ्य के आधार पर स्पष्ट करें और सिद्धांत की सहायता

से समस्याओं का विश्लेषण करें । अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के क्षेत्र(क्षेत्रों) में उनसे आशा की जाती है कि वे भारतीय समस्याओं के विशेष रूप से परिचित हों ।

सामान्य अंग्रेजी (कोड सं 01)

उम्मीदवारों को एक विषय पर अंग्रेजी में निबन्ध लिखना होगा। अन्य प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जिससे उसके अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के कार्य साधक प्रयोग की जांच हो सके । संक्षेपण अथवा सारलेखन के लिए सामान्यतः गद्यांश दिए जाएंगे ।

सामान्य अध्ययन (कोड सं० 02)

सामान्य ज्ञान जिसमें सामयिक घटनाओं का ज्ञान तथा दैनिक अनुभव की ऐसी बातों का वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान भी सम्मिलित है जिसकी किसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो । इस प्रश्न-पत्र में देश की राजनीतिक प्रणाली सहित भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान, भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिसका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए ।

सामान्य अर्थशास्त्र -I (कोड सं 11)

उपभोक्ता की मांग का सिद्धांत :—तटस्थ वक्र, विश्लेषण प्रकट अधिमानता अभिगम ।

उत्पादन का सिद्धांत : उत्पादन के तत्व, उत्पादन कृत्य प्रतिफल के नियम, प्रतिष्ठान और उद्योग का संतुलन ।

मूल्य का सिद्धांत विपणन व्यवस्था के विभिन्न रूपों में मूल्य निर्धारण सार्वजनिक उपयोगिता मूल्यन ।

वितरण का सिद्धांत : उत्पादन के तत्वों का मूल्यन, भाड़ा, मजदूरी ब्याज और लाभ के सिद्धांत, विशाल वितरण सिद्धांत, संकलन समस्या, आय वितरण में असमानताएं ।

कल्याण मूलक अर्थशास्त्र : प्राचीन और नवीन कल्याण मूलक अर्थशास्त्र, क्षतिपूर्ति नियम, क्षतिमूलक ग्रंथियां ।

राष्ट्रीय आय की अवधारणा : सामाजिक लेखा

नियोजन का सिद्धांत निषेध और मुद्रास्फिति, शास्त्रीय और नवशास्त्रीय अभिगम नियोजन के बारे में कीन्स का सिद्धांत और कीन्स के बाद की गतिविधियां ।

सामान्य अर्थशास्त्र–II (कोड सं० 12)

आर्थिक विकास की अवधारणा और उसका मापन । विकास के सिद्धांत ।

विकासशील देशों के लक्षण और उनकी समस्याएं । जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास ।

आयोजन : अवधारण और पद्धतियां, आर्थिक संगठन की पूंजीवादी और समाजवादी प्रणालियों के अन्तर्गत आयोजन मिश्रित अर्ध व्यवस्था में आयोजन, परिदृश्यात्मक आयोजन क्षेत्रीय आयोजन, निवेश के निर्धारण और प्रविधियों के चयन :

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, व्यापार के लाभ, व्यापार की शर्तें, व्यापार नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास, व्यापार शुल्क पद्धति के सिद्धांत ।

भुगतान संतुलन : भुगतान संतुलन में असमानताएं समंजन की प्रक्रिया, विदेश व्यापार, विनिमय की दरें, आयात और विनियम नियंत्रण।

आई० एम० एफ० और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रण सुधार: जी० ए० टी० टी०, आर्थिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता आई० बी० आर० डी० और उसके अनुबन्ध ।

मुद्रा : उसका मूल्य और प्रयोजन, मुद्रा नीति, केन्द्रीय और वाणिज्य बैंकों के कार्य ।

रोजकोषीय नीति और उसके लक्ष्य : कराधान और व्यय के सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय के लक्ष्य और प्रभाव, कराधान का प्रभाव और घटन, घाटे की वित्त व्यवस्था, सार्वजनिक ऋण का सिद्धांत ।

अर्थशास्त्र सांख्यिकी का प्रयोग, सांख्यिकीय औसतें और विक्षेपण के माप, मूल्यों के परिमाणों के सूचकांक, उनकी सीमाएं ।

भारतीय अर्थशास्त्र (कोड सं० 13)

भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी लक्षण, विकास तंत्र : कृषि और उद्योग की भूमिका, विदेश व्यापार की भूमिका, संतुलित विकास की अवधारणा ।

आयोजन : उद्देश्य, प्राथमिकताएं और समस्याएं, पंच-वर्षीय योजनाएं, संसाधन जुटाव की समस्याएं ।

कृषि : नया कृषि तंत्र, भूसंबंध और भू सुधार, देहाती साख सिंचाई और उर्वरकों का स्थान, कृषि विपणन, कृषि उत्पादों के मूल्यों, फसल आयोजन, समुदायिक विकास, उपजीविका और ग्रामोद्योग ।

सहकारिता : ग्रामीण विकास में इनका स्थान, भारत में सहकारी आन्दोलन का विकास ।

उद्योग : औद्योगिक विकास की प्रक्रिया, स्थल निर्देश की समस्या, वृहदाकार और लघु उद्योग की समस्याएं, औद्योगिक नीति औद्योगिक संपदाएं, औद्योगिक वित्त के संगाधन, विदेशी पूंजी की भूमिका, सार्वजनिक उद्यम, संगठन, प्रबन्ध नियंत्रण और समर्थनीयता, मूल्य नीति ।

श्रम : रोजगार बेरोजगारी और कम रोजगारी, औद्योगिक संबंध और श्रम कल्याण, श्रम नीति, मजदूरी, मूल्य और आय नीति ।

विदेश व्यापार : भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं, विदेशी व्यापार नीति, राज्य व्यापार, भुगतान सन्तुलन ।

मुद्रा और बैंकिग : भारतीय मुद्रण विपणन का संगठन, वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यप्रणाली, मुद्रा नीति ।

सार्वजनिक वित्त : वित्तीय नीति, सार्वजनिक व्यय की वृद्धि, कराधान नीति, संघ और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के प्रमुख स्रोत, सार्वजनिक ऋण नीति, घाटे की वित्त व्यवस्था, संघ और राज्य के बीच वित्तीय संबंध ।

सांख्यिकी—I (कोड सं० 21)

प्रायिकता (40प्रतिशत प्रधानता) माप सिद्धांत के तत्व–प्रसिद्ध परिभाषाएं और स्वयं सिद्ध अभिगम––प्रतिदर्श अवकाश संकुल और संकलित प्रायिकता के नियम––घटनाओं की प्रायिकता––प्रतिबंधित प्रायिकता के नियम––घटनाओं की प्रायिकता ––प्रतिबंधित प्रायिकता––बेयर्स का प्रमेय––असंयोगिता विचरण ––विरल और अविरल––वितरण कार्य––मानक प्रायिकता वितरण––बरनौली, समरूप, द्विपदीय, पाइसन ज्यामितीय, आयत, धातीय सामान्य, काची, पराज्याह मित्तीय, बहुपदीय लाप्लेस, ऋणद्विपदीय, बीटा, गामा, लघुसामान्य तथा संकलित पाइसन वितरण––अभिसरण, वितरण में, प्रायिकता में और प्रायकिता एक के साथ और माध्य वर्ग में–आगर्नन और संचायक-गणितीय अपेक्षा और प्रतिबंध अपेक्षा-लक्षणात्मक फलन और आघूर्ण तथा प्रायिकता जनक कलन-विलोम विलक्षणता और सात सिद्धांत––टेकेबाइचेक और कोलमोगोराव असमानताएं––बहुसंख्या नियम और स्वयं विचरणों के लिए केन्द्रीय सीमा सिद्धांत ।

सांख्यिकीय पद्धतियां (45 प्रतिशत प्रधानता)

तथ्यों का संग्रह, संकलन और प्रस्तुतीकरण––चार्ट, डायाग्राम और हिस्टोग्राम—आवत्ति वितरण—निर्देशन, विक्षपण और विषमता का माप द्विचर और बहुचर तथ्य—साहचय और आसंग—वक्र समजन और लांबिक बहुपद—द्विचर वितरण—द्विचर सामान्य वितरण समाश्रय्ण रेखीय बहुपदीय—सहसंबंध गणांक का वितरण—आंशिक और बहुल सहसंबंध अंतर्गीय सहसंबंध-सहसंबंध अनुपात ।

मानक त्रुटियां और बहुत प्रतिदर्श—परीक्षण प्रतिदर्श वितरण

वर्ग और एफ-इन पर आधारित प्रमुखता परीक्षण—गैर परामितीय परीक्षण—साइन, मीडियम, रन, विलकांकसन मनव्हिटनी, वाल्ड बल्फीबिडज आदि—वरीयता क्रम सांख्यिकी—अल्पतम, अधिकतम, रेंज और मीडियम ।

आंकड़ों का विश्लेषण (15 प्रतिशत प्रधानता)

लांग रेंज, न्यूटन-ग्रेगरी न्यूटन (विभाजित अंतर), गास और स्लेटिंग पर प्रचलित अक्षार्वेनेशन सत्र (शेष संभावना सहित)—थनार मस्लारिन का—संकलन सत्र —विलोम अर्ल्वेसन—आंकड़ों का समाकलन और अवकलन—प्रथम गुणांक का विभेद समीकरण—स्थिर गुणकों के साथ एक धातीय विभेद समीकरण—

सांख्यिकी—II (कोड सं० 22)

एकाघातीय प्रतिमान (25 प्रतिशत प्रधानता)

एक घातीय आकलन का सिद्धांत—गास मार्कफ प्रतिष्ठान—कनिष्ठ वर्ग आकलन—बी—विलोम का प्रयोग—एक तरफा और दो तरफा वर्गीकृत तथ्य का विश्लेषण—निश्चित, मिश्रित और यादृच्छिक प्रभाव वाले प्रतिमान—समाश्रयण गुणकों के लिए परीक्षण—

आकलन (25 प्रतिशत प्रधानता)

अच्छे आकलन के लक्षण—अत्याधिक संभावना, कनिष्ठ ची वर्ग आघूर्ण और कनिष्ठ वर्गों की आकलन पद्धतियां—अत्यधिक संभावना आकलन—क्रेमर राव असमानता—भट्टाचार्य परिसीमाएं—पर्याप्त आकलन गुणन खण्ड प्रमेय—सम्पूर्ण आंकड़े—राव—ब्लैकावेल प्रमेय-विश्वास अंतकाल आकलन—इष्टतम विश्वास परिसीमाएं ।

परिकल्पना परीक्षण (25 प्रतिशत प्रधानता)

सरल और जटिल परिकल्पना—दो प्रकार की त्रुटियां—क्रांतिक क्षेत्र—विभिन्न प्रकार के क्रांतिक क्षेत्र—धातु फलन अत्यन्त प्रभावशाली और समान रूप से अत्यन्त प्रभावशाली परीक्षण नेमन, परिसन आधार-भूत—अनभिनत परीक्षण—स्थालीप लाक परीक्षण—संभावना अनुपात परीक्षण—वाका

—OC —और ASN फलन—निर्णय के प्राथमिक तत्व और खेल सिद्धांत ।

बहुचर विश्लेषण (25 प्रतिशत प्रधानता)

बहुचर सामान्य वितरण—मध्य प्रसारक का आकलन और सहकारिता व्यूह—हाटेलिंग का स्थतिक— महलनाबिस का

स्थतिक —बहुचर सामान्य जनसंख्या के प्रतिदर्श में आंशिक और बहुल सहबंध गुणांक—विशेष का वितरण उसका

अनि-रूपणात्मक और अन्य स्वभाव—विल्क का निष्कर्ष-विवेचनात्मक फलन—प्रमुख घटक—नियमानुसार विचर और सहसंबंध ।

सांख्यिकी–III (कोड सं० 23)

भाग 'क' (सब के लिए अनिवार्य)

प्रतिदर्श विधियां (35 प्रतिशत प्रधानता)

जनगणना बनाम प्रतिदर्श सर्वेक्षण प्रारम्भिक और विस्तृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण-प्रतिस्थापन के साथ या उसके बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन और प्रतिदर्श आबंटन—लागत और विचरण फलन—आकलन की आनुपातिक और समाश्रयी पद्धतियां—आकार के समानुपात में प्रायिकता सहित प्रतिचयन—संकुल दुहरा बहुरूपी बहुस्तरीय और व्यवस्थित प्रतिचयन—अन्त प्रदेशी उप प्रतिचयन—प्रतिचयनेत्तर त्रुटियां ।

अर्थ सांख्यकी (25 प्रतिशत प्रधानता)

समय श्रेणी के घटक—उनके निर्धारण की विधियां—विचरण विभेद पद्धति—यल स्लस्की प्रभाव—सहसंबंध चित्र—प्रथम और द्वितीय क्रम के स्वयं समाश्रयी प्रतिदर्श—समावधि चित्र का विश्लेषण—मूल्यों और परिणामों के सूचकांक और उनके सापेक्ष गण—थोक और खुदरा मूल्यों के सूचकांक की रचना—आय वितरण—पेरिटो और इंगेल वक्र—एकाग्रता वक्र—राष्ट्रीय आय का आकलन करने की पद्धतियां—खंडांतर प्रवाह—अन्तर्राद्योगिक तालिका ।

भाग—(ख)

उम्मीदवारों को निम्नांकित विषयों में से किसी भी विषय पर प्रश्नों के उत्तर देने का विकल्प है ।

(1) सांख्यिकीय गुण नियन्त्रण और परिचालन अनुसंधान (40 प्रतिशत प्रधानता)

विचारों और गुणों के लिए विभिन्न प्रकार के नियंत्रक चित्र—गुणों के द्वारा स्वीकृति प्रतिचयन—एकल द्वंद्व, बहुल और श्रृंखलामूलक प्रतिचयन योजनाएं—

OC और ASH —फलन— AOQ और ATI की धारणा—विचर के द्वारा स्वीकृति प्रतिचयन—डाइज रांमिक और अन्य तालिकाओं का प्रयोग ।

परिचालन अनुसंधान का अभिगम—रेखांगत कार्यापतन के प्राथमिक तत्व—सिम्प्लेक्स प्रतिक्रिया—परिवहन और नियोजन समस्याएं—द्वदधात्मंकत का नियम—एकल और बहुल आवधिक सूची नियंत्रण के नमूने विश्लेषण । रेखा प्रतिदर्श के लक्षण— M/M/I M/M/C नमूने ग्राम नकली की समस्याएं—नष्ट या क्षीण होने वाले तत्वों के प्रतिस्थापन के नमूने ।

(2) जनांकिकी और जन्ममरण आंकड़े (40 प्रतिशत प्रधानता)

जीवन तालिका, उसका निर्माण और लक्षण—मेकहम और गामपटर्स वक्र—राष्ट्रीय जीवन तालिकाएं—राष्ट्र संघ की जीवन तालिकाओं के नमूने—संक्षिप्त जीवन तालिकाएं—स्थिर और स्थायी जनसंख्या—विभिन्न जन्म गतियां—कुल प्रजनन गतियां —कल और निवल उत्पादन गतियां—विभिन्न मरण गतियां—मानकीकृत मरण गति—आंतरिक और अन्तर्राष्ट्रीय प्रजनन—निवल प्रवृजन अन्तर्राष्ट्रीय और जनगणनोत्तर आकलन—वृद्धि, घाती वक्र सांजन सहित प्रक्षेपण विधियां—भारत में दशाब्दीय जनगणना ।

(3) प्रयोग रूप कल्पना और विश्लेषण (40 प्रतिशत)

प्रयोग रूप कल्पना के नियम—पूर्ण रूप में यादृच्छिक बनाए गए यादृच्छिक खंड और रैटिन चौक अभिकल्पों का विन्यास और विश्लेषण—क्रमगणित प्रयोग और 22 और 33 प्रयोगों में संभ्रम—खंण्ड और उपखण्ड अभिकल्प—संतलित और अदर्ध संतलित अपूर्ण वर्ग अभिकल्पों की रचना और विश्लेषण—सहकारिता का विश्लेषण—लांबिकेतर तथ्यों का विश्लेषण लुप्त और मिश्रित व्यूह के तथ्यों का विश्लेषण ।

(4) अर्थमीति (40 प्रतिशत प्रधानता)

उपभोक्ता मांग का सिद्धांत और विश्लेषण—मांग फलन का विशिष्टीकरण और आकलन—मांग की लोच—संरचना और नमूना—एकल समीकरण शैली में प्राचलों का आकलन—परम्परागत अल्पतम वर्ग, साधारणीकृत अल्पतम वर्ग-विप्रदेयता क्रमांगत सह-संबंध—बहुल सम रेखीयता—विचार प्रतिदर्श में त्रुटियां—समकालिक समीकरण प्रतिदर्शतद्यात्मकता, वरीयता क्रम और क्रमण परिस्थितियां—परीक्षा अल्पतम वर्ग और दो स्तरीय अल्पतम वर्ग—अल्पकालिक आर्थिक भविष्य कथन ।

परिशिष्ट—2

इस परीक्षा के द्वारा जिन दोनों सेवाओं में भर्ती की जा रही है, उनका संक्षिप्त ब्यौरा :

1. जो उम्मीदवार दोनों सेवाओं में से किसी के लिए भी सफल होंगे, उनकी नियुक्ति उस सेवा के ग्रेड–4 में परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी और इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । सफल उम्मीदवारों की परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णयानुसार निर्धारित प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम और शिक्षण तथा परीक्षा पास करनी होगी ।

2. यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए

उसके कार्यकुशलता की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है ।

3. परिवीक्षा की अवधि या उसकी बढ़ाई हुई अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है ।

4. यदि सरकार की राय में उम्मीदवार ने संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है, और यदि वह स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए तो उसे स्थायी पदों में मौलिक रिक्तियां उपलब्ध होने पर पक्का कर दिया जाएगा ।

5. जिन सेवाओं के लिए भर्ती की जानी है उनके लिए निर्धारित वेतनमान निम्न प्रकार हैं :—

(क) भारतीय अर्थ सेवा

स्तर/पद	वेतनमान
1. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड आर्थिक सलाहकार/सलाहकार	5900–6700/–रु०
2. (कार्येत्तर चयन ग्रेड निदेशक/ अपर आर्थिक सलाहकार) ।	4500–5700/–रु०
3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड उप आर्थिक सलाहकार/संयुक्त निदेशक	3700–5000/–रु०
4. वरिष्ठ समय वेतनमान सहायक आर्थिक सलाहकार/उपनिदेशक	3000–4500/–रु०
5. कनिष्ठ समय वेतनमान सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी	2200–4000/–रु०

(ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा

उच्च प्रशासनिक ग्रेड (7300–7600 रु०)

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (5900–6700 रु०)

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (3700–5000 रु०)

(4500–5700 रु० के वेतनमान में नान-फंक्शनल चयन ग्रेड सहित)

वरिष्ठ समय वेतनमान (3000–4500 रु०)

कनिष्ठ समय वेतनमान (2200–4000 रु०)

6. उक्त सेवा के अगले ग्रेड –4 में पदोन्नति समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय अर्थ सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी ।

भारतीय अर्थ सेवा /भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भारत में कहीं भी या भारत के बाहर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है अथवा उसको किसी राज्य सरकार या गैर-सरकार संगठन में निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है ।

7. इस सेवा के अधिकारियों की सेवा की शर्तें तथा छुट्टी तथा पेंशन इत्यादि अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं ग्रुप "क" के सदस्यों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा शासित होंगी ।

8. भविष्य निधि की शर्तें वही हैं जो सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित है किन्तु ऐसे संशोधनों की शर्त के साथ जो समय-समय पर सरकार द्वारा किए जाएं ।

———

परिशिष्ट—3

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

[ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं ? ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षक (मेडिकल एक्जामिनर्स) के मार्ग निदेशन के लिए भी हैं ।]

भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पाने की संभावना हो ।

2. भारतीय (एंग्लोइंडियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेरे के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवार को परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे व्यवहार में लाएं । यदि वजन, कद और छाती के घेरे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स–रे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा ।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से मापा जाएगा—वह अपने जूते उतार देगा और उसका दण्ड (स्टैण्ड) मे, इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहे और उसका वजन सिवाए एड़ियों के पांवों

की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े । यह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी ऐड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ, लगे होंगे । उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स ग्राफ दी हैड लेवल) हारिजांटल बार (ग्राड़ी छड़) के नीचे ग्रा जाए । कद सेंटीमीटरों और सीधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा ।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है—उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा ताकि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा ग्रसफलक (शोल्डर ब्लैड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर ऐंगलस) से लगा और फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे । फिर भुजाओं को नीचा किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न पाये । तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा 84–89, 86–93 आदि माप का रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटरों से कम से कम के भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए ।

नोट :— अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार नापनी चाहिए ।

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्राम में रिकार्ड किया जाएगा । आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए ।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जाँच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा ।

(ख) चश्मे के बिना नजर (नैकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिटेड) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में, मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल अधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी।

(ग) चश्मे के साथ चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :—

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख	अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख
6/9	6/9 या		
6/9	6/12	जे–I	जे–II

(घ) मायोपिया फण्डस के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिएं यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक दशा हो जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर प्रभाव डाल सकती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए ।

(ङ) दृष्टि क्षेत्र में सभी सेवाओं के लिए अनुप्रवाह विधि (कन्फ्रेटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को पेरामीटर पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।

(च) रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेश)—साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है (1) विटामिन "ए" की कमी के कारण और (2) रेटीना के शरीर रोग के कारण जिसकी आम वजह रेटीनिटिस पिगमेंटोसा होती है । उपर्युक्त (1) में फंडस का स्थिति सामान्य होती है साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन "ए" के खाने से ठीक हो जाती है ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस प्रायः होती है और अधिकांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चलता है। इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है । सरकार में ऊंची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं। उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन परीक्षा में स्थिति का पता चल जाएगा । उपर्युक्त (2) के लिए विशेषतया जब फण्डस ना हो तो इलैक्ट्रोरटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है, इन दोनों जांचों (अंधेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी) में समय अधिक लगता है । और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है । इसलिए साधारण चिकित्सा जांच से इसका पता संभव नहीं है । इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या है और उनकी ड्यूटी किस तरह की होगी ।

(छ) दृष्टि की तीक्षणता से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडीशन) :—

(1) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिऐक्टिव एरर) का जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्षणता के कम होने की संभावना हो अयोग्यता का कारण समझा जाना चाहिए ।

(2) भैंगापन (स्कविंट) : तकनीकी सेवाओं में जहां द्विनेत्री (बाइनोकूलर) दृष्टि अनिवार्य हो दृष्टि की तीक्षणता निर्धारित स्तर की होने पर भी भैंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए । दृष्टि की तीक्षणता निर्धारित स्तर की होने पर भैंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए ।

(3) एक आंख : यदि किसी व्यक्ति की एक आंख अथवा यदि उसकी एक आंख की दृष्टि सामान्य हो और दूसरी आंख की मन्द दृष्टि हो अथवा अप सामान्य दृष्टि हो तो उसका प्रभाव प्रायः यह होता है कि व्यक्ति में गहरा बोध हेतु त्रिविम दृष्टि का अभाव होता है । इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के लिए आवश्यक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा बोर्ड योग्य मानकर अनुशंसित कर सकता है । बशर्ते कि सामान्य आंख :

(i) की दूर की दृष्टि 6/6 और निकट की दृष्टि जे० 1 का चश्मा लगाकर अथवा उसके बिना ही बशर्ते कि दूर की दृष्टि के लिए किसी मेरिडियन में त्रुटि 4 डायोप्ट्रस से अधिक न हो ।

(ii) की दृष्टि का पूरा क्षेत्र हो ।

(iii) की सामान्य रंग दृष्टि जहां अपेक्षित हो ।

बशर्ते कि बोर्ड का यह समाधान हो जाए कि उम्मीदवार अधीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता है ।

(ज) कान्टेक्ट लेंस—उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कान्टेक्ट लेंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी । यह आवश्यक है कि आंख की जांच करते समय दूर की नजर के लिए टाइप किए गए अक्षरों का उदभासन 15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हो ।

7. ब्लड प्रैशर

ब्लड प्रैशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रैशर के आकलन की काम चलाई विधि नीचे दी जाती है :—

(1) 15 से 25 वर्ष के युवा आयु से अधिक व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रैसर लगभग 100 जमा आयु होता है ।

(2) 25 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्तियों से ब्लड प्रैशर आक्कलन करने में 110 में आधी आयु जोड़ देने का तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

ध्यान दें :—सामान्य नियम के रूप में 140 एम० एम० के ऊपर के सिस्टालिक प्रैशर की ओर 90 एम० एम० से अपर डायस्टालिक प्रैशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य/अयोग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साईटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रैशर वृद्धि थोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक (आर्गनिक) बीमारी है ? ऐसे सभी केसों में हृदय को एक्स-रे और विद्युत हृदयलेखी (इलक्ट्रो कामिग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (किलेयरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा ।

ब्लड प्रैशर (रक्त दाब) लेने का तरीका :

नियमित पारे वाले दबावमापी (मर्करी मैनोमीटर) किस्म का उपकरण (इन्स्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेष कर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो । कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाए । भुजा पर से कन्धे तक कपड़े उतार देने चाहिए । कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके नीचे किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े को पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूलकर बाहर को न निकले ।

कोहनी के मोड़ पर प्रकट धमनी (ब्रेकिअल आर्टरी) को दबाकर ढूंढा जाता है तब तक इसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है । हल्की श्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रैशर दर्शाता है । जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियांवनि तेज सुनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्रायः हो जाएं, वह डायस्टालिक प्रैशर है । ब्लड प्रैशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए । क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकार होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है । यदि दोबारा पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ म से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाये । (कभी-कभी कफ) से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दबाव गिरने पर ये गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है) इस साइलेंट गैप से रीडिंग में गलती हो सकती है ।

8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मेडिकल को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके अन्य सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लकोजमेह (ग्लाकोसरिया) के सिवाए, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लकोजमेह अमधुमेही (नान डायबिटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों,

मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शूगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिक या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड को "फिट" या "अनफिट" की अन्तिम राय आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए ।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न हो जाए। किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आरोग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूति की तारीख से 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाणपत्र के लिए, उसकी फिर से स्वास्थ्य की परीक्षा की जानी चाहिए ।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए :—

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं। यदि कान की कोई खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो । चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जानी है :—

(1) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन दूसरा कान सामान्य होगा ।	यदि उच्च फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबल तक हो तो गैर-तकनीकी काम के लिए योग्य ।
(2) दोनों कानों में बहरापन या प्रत्यक्ष बोध जिसमें श्रव्य यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो ।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रीक्वेंसीज में बहरापन 30 डेसीबल तक हो तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य है ।
(3) सेंट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र ।	(1) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र हो तो अस्थायी आधार पर अयोग्य ।
	कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने में दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4(2) के अधीन विचार किया जा सकता है ।
	(2) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य ।
	(3) दोनों कानों में सेंट्रल छिद्र होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य ।
(4) कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड केविटी से सबसे नार्मल श्रवण	(1) किसी एक कान के सामान्य रूप के एक ओर से मस्टाइड केविटी से सुनाई देता हो दूसरे कान में सबनार्मल श्रवण वाले कान/मस्टायड केविटी होने पर तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य ।
	(2) दोनों ओर से मस्टायड केविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवणयंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर 30 डैसीबल हो जाने पर गैर-तकनीकी कामों के लिए योग्य ।
(5) बहते रहने वाला कान आपरेशन किया या/बिना आपरेशन वाला ।	तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए अस्थायी प्रकार रूप से अयोग्य ।
(6) नासापट की हड्डी संबंधी विसमताओं (बोनी डिफारमिटा) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक/एलर्जिक दशा ।	(1) प्रत्येक मामले में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय किया जाएगा ।
	(2) यदि लक्षणों सहित नासापट अपसरण विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(7)	टांसिल्स और/या स्वरयंत्र (लैरिक्स) की जीर्ण प्रदाहक दशा ।	(1) टांसिल और/या स्वर यंत्र (लैरिक्स) की जीर्ण प्रदाहक दशा योग्य । (2) यदि आवाज में अत्याधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप मे अयोग्य ।
(8)	कान, नाक, गले (ई० एन० टी०) ।	(1) हल्का ट्यूमर अस्थायी रूप से अयोग्य । (2) दुर्दम्य ट्यूमर अयोग्य ।
(9)	आस्टैक्लिरोसिस	श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डैसीमल के अन्दर होने पर योग्य ।
(10)	कान, नाक अथवा गले के जन्म जात दोष ।	(1) यदि काम काज में बाधक न हो तो योग्य । (2) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य ।
(11)	नेजल पोलो ।	अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो ।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा) ।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं उसका दिल या फैफड़े ठीक हैं या नहीं ।

(ङ) उसे पेट की बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रप्चर है या नहीं ।

(छ) उसे हाईड्रोसील, बढ़ी हुई बेरिकोसिल, बेरिकाजशिरा (वन) या बवासीर है या नहीं ।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रन्थियां भली-भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती हैं या नहीं ।

(झ) उसे कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं ।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिससे कमजोर गठन का पता लगे ।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं ।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्युनिकेबल) रोग है या नहीं ।

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो सभी मामलों में नियमित रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए ।

सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जहां कहीं संदेह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है उसे यदि किसी उम्मीदवार पर मानसिक त्रुटि अथवा विपथन (डेवरेशन) से पीड़ित होने का संदेह होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल में किसी मनोविकास विज्ञानी/मनोविज्ञानी से परामर्श कर सकता है ।

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।

12. मैडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार रु० 50/– का अपील शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापस मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाएंगे शेष दूसरों के बारे में यह जब्त कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 2 दिन के अन्दर अपील पेश करनी चाहिए अन्यथा अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा । अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में होगी और स्वास्थ्य परीक्षा के सम्बन्ध में की गयी यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए वित्त मंत्रालय (वित्तीय कार्य विभाग) अथवा योजना मंत्रालय (सांख्यिकी विभाग) जैसी भी स्थिति हो द्वारा आवश्यक कारवाई की जाएगी ।

मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मैडिकल परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड में सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल यदि हो, के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए ।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो ।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य मे भी उतना ही सम्बद्ध है जितना कि वर्तमान मे है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अवायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा मे बाधक पाया गया हो।

बोर्ड में सामान्यतः तीन सदस्य होंगे (1) एक कार्य चिकित्सा (2) एक शल्य चिकित्सक और (3) एक नेत्र चिकित्सक। ये सभी यथासंभव साध्य समान स्तर के होने चाहिएं। महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भारतीय अथ सेवा /भारतीय सांख्यिकी सेवा उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। इस प्रकार के किसी उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं। डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार पर उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं। किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बताने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वह डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे डाक्टर बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में सम्बन्धित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर 'अयोग्य' करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारण तथा कम से कम 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए।

निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के सम्बन्ध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मैडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिएं। नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें .....
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बतायें .....

3. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमिया, नागालैंड जनजाति आदि में से किसी जाति से सम्बन्धित है जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दिजिए उत्तर 'हां' में तो उस जाति का नाम बताएं।

(ख) क्या आपको कभी चेचक रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लेंड्स) का बढना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रुमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है।

अथवा

दूसरी कोई बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मैडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4. क्या आपको अधिक काम या दूसरे किसी कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है? .....

5. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :

यदि पिता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है उनकी आयु और मृत्यु का कारण
1			
2			
3			

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण
1			
2			
3			

6. क्या इसके पहले मैडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

7. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' में हो तो बताइए किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी।

8. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?

9. कब और कहां मैडिकल बोर्ड हुआ ?

10. मैडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो।

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर ....

मेरे सामने हस्ताक्षर किए ....

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर....................

नोट : उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा। जानबूझ कर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बैठने का जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन आलाऊंस) या उपदान (ग्रेच्युटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

.... (उम्मीदवार का नाम) को शारीरिक परीक्षा की मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास ....अच्छा .....बीच का ....कम ......कम पोषण : पतला ....औसत ......मोटा ....

कद जूते उतार कर ....वजन...............

अल्पतम वजन ....कब था ? ....

वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन

तापमान ....

छाती का घेरा ....

(1) पूरा सांस खींचने पर ....

(2) पूरा सांस निकालने पर....................

2. त्वचाएं ....कोई जाहिर बीमारी

3. नेत्र....................................

(1) कोई बीमारी...........................

(2) रतोंधी...............................

(3) कलर विजन का दोष........................

(4) दृष्टि नेत्र (फील्ड आफ विजन)..........

(5) दृष्टि तीक्ष्णता विजुअल एक्वीटी..........

(6) फण्डस की जांच..........................

दृष्टि की तीक्ष्णता		चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की क्षमता
				गोल बर्टूल एक्सिस
दूर की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			
पास की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			

4. कान : निरीक्षण............सुनना......... ....दायां कान..............बायां कान......................

5. ग्रंथियां ....थाइराइड............

6. दांतों की हालत......................

7. श्वसन तंत्र (रेसपायरेटरी सिस्टम)—क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में से किसी असमानता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें।

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक गति (आर्गेनिक लीजन) गति रेट :—

खड़े होने पर

25 बार कुदाए जाने पर ....

कुदाए जाने के दो मिनट बाद ....

(ख) ब्लड प्रैशर ....सिस्टॉलिक.........

...............डायस्टॉलिक

9. उदर (पेट) घेर ....स्पार्शी सहायता हानियां:—

(क) दबा कर मालूम पड़ना/लिवर ....

तिल्ली ......गुर्दे ....

ट्यूमर ....

(ख) रक्तार्श

भगंदर

10. तांत्रिक तंत्र (नर्व सिस्टम) तांत्रिक या मानसिक अशक्तता भगंदर का संकेत ....

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम) असमानता ....

12. जनन मूत्र तंत्र (जैनिटो यूरिनरी सिस्टम) हाइड्रोसिल वरिकोसिल आदि का कोई संकेत।

मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ?

(ख) अपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

(ग) एलबुमन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) कोशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट।

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए आयोग्य हो सकता है।

नोट—महिला उम्मीदवार के मामले में यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी है तो उसे अस्थायी रूप से आयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, देखें विनियम 9।

15. (क) क्या वह भारतीय अर्थ सेवा में दक्षतापूर्वक और निरन्तर कार्य करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है।

(ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है ?

नोट :—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए :

(क) योग्य (फिट)

(ख) आयोग्य (अनफिट) जिसका कारण ....

(ग) अस्थायी रूप से अयोग्य जिसका कारण ....

स्थान ....

तारीख ....

अध्यक्ष ....

सदस्य ....

सदस्य ....

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 8th March 1995

No. (42) F. 18-8/93-TD.V/TS.IV.—On the recommendations of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Govt. of India have decided to recognise the following 12 Certificates & 10 Diplomas awarded by Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (SLIET), Longowal (Punjab) for the purposes of recruitment to posts and services under the Central Government with effect from the passing out of the first batch of students from the Institute i.e. Nov. '93 :—

CERTIFICATE COURSES

1. Servicing & Maintenance of Electronic Instruments;
2. Servicing & Maintenance of Medical Instruments;
3. T. V. Mechanic;
4. Data Entry Operators and Word Processing;
5. Tool and Die Technology;
6. Food Processing and Preservation;
7. Auto and Farm Equipment Mechanic;
8. Welding;
9. Foundry and Forging;
10. Air Conditioning Mechanic;
11. Electrician; and
12. Building Maintenance.

DIPLOMA COURSES

1. Electonics & Communication Engineering;
2. Computer Programming & Applications;
3. Instrumentation & process Control;
4. Welding Technology;
5. Maintenance & Plant Engineering;
6. Foundry Technology;
7. Computer Servicing & Maintenance;
8. Food Processing;
9. Chemical Technology; and
10. Industrial & Production Engineering.

The Board further recommended that the above mentioned Certificate Courses of the SLIET may be recognised as equivalent to the 10+2 qualification and the Diploma Courses as equivalent to the Diploma awarded by the various State Boards of Technical Education in the appropriate fields for the purpose of recruitment to the posts and services under the Central Government.

VIJAY BHARAT,
Dy. Educational Adviser (Tech.) &
Secretary Board of Assessment for
Educational Qualifications.

New Delhi, the 13th March 1995

No. (45) F. 15-17/94-TS. IV (.).—On the recommendation of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Government of India have decided that those foreign qualifications which aree recognised/equated by Association of Indian Universities, 16, Kotla Marg, New Delhi, are treated as recognised for the purpose of employment to posts and services under the Central Government. No separate order(s) for the recognition of such foreign qualifications is (are) needed to be issued.

J. P. AGARWAL,
Assistant Educational Adviser (T)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 15th March 1995

No. 5-1/94-PLI.—The President is pleased to extend the coverage of Postal Life Insurance to the Rural Public in India under the "Rural Postal Life Insurance Scheme-1995 (Grameen Dak Jeevan Beema Yojna-1995").

1. SHORT TITLE :

The scheme shall be entitled "Rural Postal Life Insurance Scheme-1995".

2. COMMENCEMENT :

"Rural Postal Life Insurance Scheme-1995" here-in-after referred to as the 'Rural Scheme' as notified will come into force w.e.f. 24-3-95 for a period of three years initially. The further continuance of the Scheme is subject to the specific approval of the Central Government afteer reviewing the experience and performance of the Scheme".

3. OBJECTIVE :

The scheme is envisaged to provide insurance cover to the rural public in general and benefit weaker sections and women workers of rural areas in particular.

4. APPLICABILITY OF POST OFFICE INSURANCE FUND RULES :

POIF Rules as amended from time to time, shall be applicable to the "Rural Scheme' Mutatis-mutandis except where special provisions have been made and notified under this scheme. Such special provisions shall be applicable to the exclusion and in supersession of corresponding POIF Rules. In case of any doubt arising in interpretation or applicability of any rule under the Rural Schome, the matter shall be referred to DG Posts whose decision shall be final.

5. ELIGIBILITY :

The scheme shall cover all personse, male or female, who permanently reside in rural areas and are ordinarily residents in India to the exclusion of Foreigners and Non-resident Indians porvided they have attained majority.

5.1. However, where a policy-holder who is a resident of India subsequently shifts his residence outside India, temporarily or permanently, he/she shall make arrangements to make payments of due premia within India in the specified Post Office in Indian currency.

5.2. All claims settled in respect of such persons who may have shifted their residence outside India shall be paid within India only in Indian currency in accordance with POIF Rules.

6. AGE LIMIT :

A person who is not less than 19 years and not more than 45 years (40 years in case of AEA policies) on his her next birth day shall be eligible for this scheme.

6.1. The proponent shall be reequired to furnish proof of age alongwith the proposal form and in the manner prescribed by the Department.

7. LIMITS OF INSURANCE :

The minimum limit for insurance under this scheme shall be Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand). The maximum limit under the medical scheme, taking total sum assured under all plans shall not exceed Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh) while the maximum limit in respect of Non-medical scheme, taking total sum assured under all plans shall not exceed Rs. 25,000 - (Rupees twenty five thousand).

8. MEDICAL EXAMINATION :

Rules regarding Medical Examination as applicable to PLI scheme also apply mutatis-mutandis to the 'Rural Scheme' Two types of policies i.e. with and without medical exami-

nation, termed as 'Medical' and 'Non-medical' policies shall be available under the "Rural scheme".

8.1. In respect of medical policy, a proponent shall be required to undergo a medical examination to be conducted by the nearest authorised Medical practitioner. Such authorised Medical practitioner after conducting medical examination of the proponent, shall forward the proposal alongwith his medical examination report to the department specificially recording therein whether the said proponent is found medically fit or unfit for insurance cover. In case the proponent is found conditionally fit for granting insurance cover, the Medical officer shall specify the nature, extent and temporariness or permanence of the impairment or disease the proponent is affiliated with adversely affecting the longevity of his or her life. Depending upon the nature and extent of the impairment/disease, the proposal may be accepted by the department by charging extra- premium. While considering the recommendations of the Medical Officer, such recommendations shall not be binding on the department and may or may not be accepted at the discretion of DG Posts or officers authorised on his behalf and the decision of such authority shall be final.

8.2. In case of Non-medical policies, the terms and conditions as that of POIF Rules amended from time to time for such policies shall be applicable mutatis-mutandis except in cases specified otherwise.

9. INSURANCE PLANS :

All the existing PLI plans, mentioned hereunder, shall be available under the "Rural Scheme".

(i) Whole Life Insurance Plan

(ii) Convertible whole Life Insurance Plan.

(iii) Endowment Assurance Plan

(iv) Anticipated Endowment Assurance Plan.

However, to cater to the specific insurance needs of rural public particularly the weaker sections and working women, other suitable plans may also be introduced under the "Rural Scheme" from time to time.

10. LICENCING OF AGENTS :

E. D. B. P. M. S., E. D. S. P. Ms and selected departmental S. P. Ms. in rural areas shall be authorised to work as agents for procurement of insurance business under the "Rural Scheme" in their respective jurisdiction.

11. AGENCY COMMISSION :

E.D.P.P. Ms, E.D.S.P.Ms. and SPMs of rural areas authorised to procure business shall be entitled to such 'Procurement commission' as is prescribed by D.G. Posts from time to time. Besides such commission based on procurement of business, the authorised agents who collect subsequent premia under the said scheme shall also be entitled to 'Premia collection incentive' at the rates prescribed by D. G. Posts from time to time.

12. LIABILITY OF THE PROPOSER :

In order to obtain Insurance Cover the proposer may fill up the proposal form prescribed by the Department either himself/hereself or through his/her agent and sign the said proopsal form or impress his/her left hand thumb impression, if illiterate, in token of having accepted the terms and conditions thereof and having furnished correct and factual information in the said proposal form. Where the proposer has impressed his her thumb impression, the same shall be got witnessed through a literate witness who is not related in any way to the department. Inaccurate or misleading information shall render the contract voidable at the discretion of Director General of Posts and lead to forefeiture of payments that may have been made by the said proposer.

12.1. Where the proposer signs a proposal form in a language different from the one in which the proposal form is written, a declaration in the language in which he has impressed his signature to the effect that he has signed after understanding the contents shall be obtained over his signatures. All such declarations shall also be accompanied by a declaration of the person filling the proposal form.

13. AUTHORISATION TO COLLECT INFORMATION :

The proposer shall authorise the Department at the time of submission of his/her proposal to collect any information regarding his age, personal, family and medical history from such sources including the personal and family doctor as the department may deem necessary.

14. RATE OF PREMIUM :

The rates of premium applicable to different plans under 'the rural scheme' shall be the same as per the premium tables notified under different plans of the Postal Life Insurance Schemes by the department from time to time except where different rates of premia are specifically prescribed for any 'Rural Scheme'.

15. PAYMENT OF PREMIA :

A proposed or an insurant shall deposit his/her premium only at specified Head Post Office, Sub Post Office or Branch Post Office selected for the purpose and duly approved by the department. Any subsequent change in the selected Post Office shall have to be got approved by the concerned CPMG.

15.1. The proposer may select the periodicity (viz. monthly Quarterly, Half Yearly or Yearly) for payment of premia as per his/her convenience, at the time of submission of his/her proposal and he/she shall not be normally allowed to change such periodicity. In case the insurant subsequently wants any change in the periodicity of payment of premia he/she shall obtain approval of CPMG concerned or officers authorised on his behalf.

15.2. Notwithstanding what is stated above an insurant may pay advance premium at any time as prescribed under POIF Rules and avail of the rebates permitted.

16. PAYMENT OF FIRST PROVISIONAL PREMIUM :

A proposer may pay an amount equal to first premium against his/her proposed policy either directly in the Post Office or through an authorised agent of the department with a clear understanding that the risk of his/her life shall not commence unless his policy is accepted by the Director General of Posts or officers authorised on his behalf. The department shall not accept any liability in respect of claims arising before acceptance of the proposal notwithstanding the payment of first provisional premium.

17. VERIFICATION OF PROPOSALS :

The agents shall forward the proposals to their respective SDI/Asstt. Supdts for such verification of particulars as they deem necessary especially regarding identity, age, occupational and moral hazards, personal and family history and any involvement or suspected involvement of the proposer in criminal or illegal activity, whereafter they shall sent a confidential report alongwith the proposal to the CPMG. SDIs shall be paid incentive for such work as prescribed by the department.

18. COMMENCEMENT OF RISK :

The risk on the life of the proposer shall commence from the date of acceptance of the policy or payment of the first premium in full whichever is later.

19. UNDERWRITING OF LIVES :

The D. G. Posts or CPMG on his behalf shall underwrite only such lives which aree found standard on normal tabular rates of premium. In all other cases except those not found fit for insurance, extra premium shall be charged from the proposer.

20. ASSIGNMENTS & NOMINATIONS :

Assignments and nominations of policies under the 'Rural Schme' shall be governed by the POIF Rules on assignment and nominations mutatis mutandis.

21. REJECTION OF PROPOSALS :

The DG Posts or CPMG or officers authorised on his behalf reserve the right to reject any propoal without assigning any reason thereof.

22. LOANS, PAID-UP VALUE AND SURRENDER VALUE :

The amounts payable as loans, paid-up value or surrender value shall be determined in accordance with the POIF Rules.

23. LAPSING OF POLICIES, REVIVAL AND SETTLEMENT OF CLAIMS :

Any policy which is not in force due to non-payment of any premium within the period of grace shall be treated as lapsed and void and shall be governed by the relevant POIF Rules for their settlement or revival. No claims whatsoever shall be entertained by the department in respect of void policies or any other policies where the rules under this scheme or POIF Rules have been violated.

24. CLAIMS ARISING AS A RESULT OF SUICIDE :

In case the policy holder commits suicide within two years of acceptance of the policy no claim shall lie against the department and claim shall be rejected.

25. ALTERATIONS :

Any permissible alterations to the policy requested by the policy-holder may be permitted by the D. G. Posts or officers on his behalf at their discretion.

26. BONUS :

The department shall periodically announce rates of bonus applicable to different with-profit plans and all claims shall be determined on the bas's of such Bonus.

27. MAINTENANCE, OPERATION AND VALUATION OF 'POIF-RURAL' :

Separate fund called 'Post Office Insurance Fund-Rural' will be maintained in respect of the said scheme. The operation, valuation and investment of the fund will be similar to that of Post Office Insurance Fund.

28. RIGHT TO ALTER TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT :

The President reserves to himself the right of making from time to time such additions and alterations in the rules or in the premia to be paid as he may consider necessary, provided that no such addition or alteration shall affect the conditions or any contract for a policy which any person may have made with the Director General of Posts under these or any other rules in force at the time of making the contract, unless such person has given his/her consent in writing to such additions or alterations.

MEERA DATTA
Director (PLI)

No. 5-1/94-LI.—The President is pleased to introduce a new Plan entitled "Ten year Rural Postal Life Insurance Plan" (Das-Varshiya Grameen Dak Jeevan Beema Yojana), hereafter called the plan' with effect from 24-3-95.

2. The Plan shall be governed by the rules prescribed under the notified "Rural Postal Life Insurance Scheme 1995" (Grameen Dak Jeevan Beema Yojana 1995).

3. The salient features of the plan are given as under :—

(i) TERM

A policy under this Plan shall be available for a period of 10 years only.

(ii) LIMITS OF SUM ASSURED

The minimum sum for which a policy may be issued under this 'Plan' will be Rs. 10,000 - (Rupees ten thousand only) and the maximum sum for which a policy may be issued under this plan will be Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh only) in case the policy is issued after the proposer undergoes prescribed medical examination and is declared fit, and Rs. 25,000/- (Rupees twenty five thousand only) under the 'Non Medical scheme'.

(iii) AGE LIMIT

A person who is not less than 19 years on the next birthday and not more than 45 years on his/her next birthday shall be eligible for this Plan. He/She shall have to produce an age proof certificate to the satisfaction of the Department.

(iv) PAYMENT OF PREMIA

The insurant may select the periodicity for payment of premia in respect of his/her policy as per his her convenience viz. monthly, quarterly, half yearly or yearly. The respective tables for payment of premia on monthly quarterly, half yearly & yearly basis are given in enclosed table 'A'. However once the periodicity for payment of premia is selected, no change will normally be allowed, except with specific permission of Chief Postmaster General concerned. The premia are payable in advance within the specified grace period.

(v) REBATES ON PREMIA

In such cases where premia are payable monthly in advance, the insurant may pay premia for number of months together, but not less than three months, to avail of rebates permitted @ 0.5% of the amount of premium payable for payment of 3—5 months premia in advance, 1.0% of the amount of premium payable for payment of 6—11 months premia in advance and 2% of the amount of premium payable for payment of 12 months or more premia in advance.

(vi) PERIODICAL SURVIVAL BENEFITS

Under this Plan two instalments of periodical survival benefits shall be payable to the insurant as a percentage of sum assured in case he/she survives the specific period as indicated below and the remaining amount shall be payable at the time of maturity alongwith the bonuses accured thereof :—

(a) 20% of the sum assured in case the life assured survives upto the end of 4 years from the date of acceptance of the policy.

(b) 20% of the sum assured in case the life assured survive upto the end of 7 years from the date of acceptance of the policy.

(c) 60% of the sum assured together with the accrued bonuses in case the life assured survives upto the date of maturity.

(vii) CLAIMS ON ACCOUNT OF DEATH

In case of death of the insured person at any time during the term of the policy and before the date of maturity, full sum assured shall be payable alongwith the accured bonus not-withstanding any periodical survival benefits that may have been paid already to the insurant before the said date of his/her death.

(viii) LOANS NOT PERMISSIBLE

In view of periodic survival benefits being payable under this plan, no loans shall be granted.

(ix) ALTERATION OF TERMS OF POLICY

No alteration that affects the term of the policy as also no conversion to other plans and vice versa shall be allowed after the acceptance of the policy.

(x) PAID-UP POLICIES

In the event of the cessation of payment of premia before the maturity date but not before such premia have been paid for a minimum period of 3 years from the date of the acceptance of the policy, the policy shall be treated as paid-up and the paid-up value as applicable to the 'Plan' Table 'B' shall be payable only at the time of maturity or on death of the policy-holder whichever is earlier.

No periodical payments on account of survival benefits shall, however be payable in such cases where payment of premia have been stopped of the policy has become paid-up.

(xi) SPECIAL BENEFITS

Under this 'Plan', in such cases where the insurant is unable to pay the due premia against his/her policy as a direct consequence of a natural calamity, such as floods, droughts or earth quakes, having befallen on the area in which the insurant permanentely resides, provided he/she had declared the said residence in his/her proposal form, no interest/fine shall be charged from him/her in respect of arrears of premia accrued and subsequently paid by him upto a maximum period of 12 months from the date of occurence of such natural calamity. The Chief Postmaster General may also permit payment of such arrears of premia subsequently in monthly instalments, not exceeding six instalments if the insurant so desires.

In such cases where the death of the insurant occurs within twelve months of the date of occurence of the natural calamity, and where the premia had remained unpaid from the month of occurence of such natural calamity, the policy shall be deemed to be inforce and the claim shall be entertained by the Department. However, in such caces where the premia are in arrears before the said date of occurance of the natural calamity or beyond twelve months of the occurance of the natural calamity the claim shall not come under the purview of this exemption and shall be treated at per with other cases under normal rules.

In such cases where Chief Postmaster General has permitted payment of arrears of premia in instalments and where death of the insurant takes place any time after the first instalment of arrears is paid the policy shall be deemed to be in force and shall be entertained by the Department, provided all other regular premia except such arreais which were permitted to be paid in instalments have been paid by the insurant regularly.

In all the aforesaid cases the arrears of premia shall be recovered from the claim amount payable to the legal heir/nominee of the insurant.

A certificate shall have to be produced by the insurant from the District Collector in support of the fact that natural calamity had be fallen the area in which the insurant resides causing damage to life or property belonging to the insurant.

MEERA DATTA,
Director (PLI)

TABLE 'A'

TEN YEAR RURAL POSTAL LIFE INSURANCE PLAN
DAS VARSHIYA GRAMEEN DAK JEEVAN BEEMA YOJANA

(PROVISIONAL)

TABLE OF PREMIUM PAYABLE FOR AN ASSURANCE OF RS. 1.000/-

WITH PROFIT ANTICIPATED ENDOWMENT ASSURANCE OF RS. 1000/- WHERE RS. 200 WILL BE PAID AT END OF 4TH YEAR ON SURVIVAL RS. 200 WILL BE PAID AT END OF 7TH YEAR ON SURVIVAL RS. 600 AND BONUS WILL BE PAID AT END OF 10TH YEAR ON SURVIVAL.

RS. 1000/- WITH BONUS ON DEATH AT ANY TIME NOT WITH STANDING WHATEVER INSTALMENT SUM ASSURED PAID EARLIER.

AGE	ANNUAL	HALF YEARLY	QUARTERLY	MONTHLY
1	2	3	4	5
20	114.45	57.70	29.00	9.70
21	114.55	57.75	29.00	9.70
22	114.60	57.80	29.05	9.70
23	114.65	57.80	29.05	9.70
24	114.70	57.85	29.05	9.70
25	114.80	57.90	29.10	9.70
26	114.85	57.90	29.10	9.70
27	114.95	57.95	29.10	9.75
28	115.05	58.00	29.15	9.75
29	115.20	58.10	29.20	9.75
30	115.30	58.15	29.28	9.75
31	115.45	58.20	29.25	9.75
32	115.60	58.30	29.30	9.80
33	115.75	58.35	29.30	9.80
34	115.90	58.45	29.35	9.80
35	116.00	58.50	29.40	9.80
36	116.15	58.55	29.40	9.85
37	116.30	58.65	29.45	9.85
38	116.40	58.70	29.50	9.85
39	116.50	58.75	29.50	9.85
40	116.55	58.75	29.50	9.85
41	117.10	59.05	29.65	9.90
42	117.75	59.35	29.80	9.95
43	118.40	59.70	30.00	10.00
44	119.10	60.05	30.15	10.05

1	2	3	4	5
45	119.80	60.40	30.35	10.15
46	120.50	60.75	30.50	10.20
47	121.20	61.10	30.70	10.25
48	121.85	61.40	30.85	10.30
49	122.40	61.70	31.00	10.35
50	122.75	61.85	31.05	10.40

Note :

1. For the Purpose of above Table 'age at entry means the age next birthday following the date of payment of the first premium.
2. For a policy of Rs.20,000/-and above a rebate of Rs. 1/- month per twenty thousand of sum assured is admissible
3. For the purpose of the table 'minimum age at entry' will be 19 years of age and maximum 45 years.
4. The minimum sum assured shall be Rs. 10,000/- but not more than an aggregate of Rs. one lakh in all classes of insurance taken together.
5. The policies can be taken in the units of Rs. 5,000/- but not less than Rs. 10,000/- sum assured.

TABLE 'B'

GRAMIN DAK JEEVAN BEEMA YOJNA PAIDUP VALUE TABLE FOR ANTICIPATED ENDOWMENT POLICIES

WITH PROFIT ANTICIPATED ENDOWMENT ASSURANCE OF RS. 1000/-WHERE RS.200 WILL BE PAID AT END OF 4TH YEAR OF SURVIVAL RS. 200 WILL BE PAID AT END OF 7TH YEAR ON SURVIVAL RR. 600/- AND BONUS WILL BE PAID AT END OF 10TH YEAR ON SURVIVAL RS. 1000/- WITH BONUS ON DEATH AT ANY TIME NOT WITH STANDING WHATEVER INSTALMENT SUM ASSURED PAID EARLIER

No. of Premium	Paid up Value	No. of Premium	Paid up Value	No. of Premium	Paid up Value
30	150	60	220	90	300
31	160	61	230	91	310
32	170	62	240	92	320
33	180	63	250	93	330
34	190	64	260	94	340
35	200	65	270	95	350
36	210	66	280	96	360
37	220	67	290	97	370
38	230	68	300	98	380
39	240	69	310	99	390
40	250	70	320	100	400
41	260	71	330	101	410
42	270	72	340	102	420
43	280	73	350	103	430
44	290	74	360	104	440
45	300	75	370	105	450
46	310	76	380	106	460
47	320	77	390	107	470
48	100	78	400	108	480
49	110	79	410	109	490
50	120	80	420	110	500
51	130	81	430	111	510
52	140	82	440	112	520
53	150	83	450	113	530
54	160	84	240	114	540
55	170	85	250	115	550
56	180	86	260	116	560
57	190	87	270	117	570
58	200	88	280	118	580
59	210	89	290	119	590

MINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM
(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 9th March 1995

RESOLUTION

No. E. 11011/20/92-Hindi.—The Government of India has decided to reconstitute the "Nagar Vimanan Hindi Salahkar Samiti" for the Deptt. of Civil Aviation in the Ministry of Civil Aviation & Tourism. The composition of the Samiti and its functions will be as under :—

Composition

1. Minister for Civil Aviation & Tourism . . . . . Chairman

Members of Parliament

Two M.Ps. from Lok Sabha

2. Shri Ankush Rao Saheb Tope, ... Member
M.P. (Lok Sabha)
159, South Avenue, New Delhi.
3. Shri Laxman Singh, M.P. . . . . Member
121, South Avenue, New Delhi.

Two M.Ps. from Rajya Sabha

4. Smt. Ila Panda . . . . . Member
Member of Parliament,
12, Meena Bagh, New Delhi.
5. Shri Prabhakar B. Kore, M.P. . . . . Member
129-131, North Avenue, New Delhi.

Two M.Ps. from Committee of Parliament on Official Language

6. Shri Udai Pratap Singh, M.P. . . . . Member
(Lok Sabha), 84 North Avenue, New Delhi.
7. Shri Jagdish Prasad Mathur, M.P. . . . . Member
(Rajya Sabha), 10, Rajendra Prasad Road, New Delhi.

Non-Official Members

8. President . . . . . Member
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad XY-68,
Sarojini Nagar, New Delhi.
9. Sh. M.K. Velayudhan Nair . . . . . Member
Secretary, Akhil Bhartiya Sanstha,
Sangh & Kerala Hindi Prachar Sabha, Trivandrum.
10. Dr. Iqbal Ahmad . . . . . Member
Professor in ths Department of Hindi,
Calicut University, Calicut (Kerala).
11. Mr. Ved Bhasin, ... Member
Printer Publisher and Editor of
Daily, "Kashmir Times", (Jammu),
Shahidi Chowk, Jammu.
12. Mr. Dileep Kumar, ... Member
Special Correspondent, Swatantra Bharat,
112, Anupam Apartments,
M.S. Road, Saket, New Delhi.
13. Ms. Poonam Shukul, ... Member
Correspondent, Doordarshan Kendra,
Aakashwani Bhawan, New Delhi.
14. Shri Siya Ram Yadav, ... Member
Professor, Lucknow University,
Lucknow (Uttar Pradesh).
15. Shri Amit Sharma, ... Member
Kaya-Maya Ayurvedic Hospital,
M.I. Tughlakabad, M.B. Road, New Delhi.
16. Shri Irfan Ul-Rehman Khan, Advocate, ... Member
M.L.C., Station Road, Parbhany-431401, (Maharashtra).

OFFICIAL MEMBERS

17. Secretary, Civil Aviation . . . . . Member
18. Secretary, ... Member
Department of Official Language and
Hindi Advisor to the Government of India.

19. Joint Secretary (BK) . . . . . Member
Department of Civil Aviation.
20. Joint Secretary (BH) . . . . . Member
Department of Civil Aviation
21. Joint Secretary (F) . . . . . Member
Department of Civil Aviation.
22. Joint Secretary . . . . . Member
Department of Official Language.
23. Director (Admn.)/Deputy Secretary (Admn.) . . . . . Member
Department of Civil Aviation.
24. Director (O.L.) . . . . . Member
Department of Civil Aviation
25. Director General . . . . . Member
of Civil Aviation, New Delhi.
26. Commissioner. . . . . Member
Bureau of Civil Aviation Security, New Delhi.
27. Chief Commissioner . . . . . Member
of Railway Safety, Lucknow.
28. Chairman, ... Member
Air India Ltd./Indian Airlines Ltd.
29. Managing Director, ... Member
Air India Ltd., Bombay.
30. Managing Director, ... Member
Indian Airlines Ltd., New Delhi.
31. Managing Director, ... Member
Hotel Corporation of India, Bombay.
32. Managing Director, ... Member
Pawan Hans Ltd., New Delhi.
33. Chairman, ... Member
International Airports Authority of India, New Delhi.
34. Chairman, ... Member
National Airports Authority , New Delhi.
35. Director, ... Member
Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy,
Fursatganj, Distt. Raibareilly, U.P.

Joint Secretary Civil Aviation looking after Official Language work, will be the Member Secretary of the Samiti.

II. Functions of the Samiti :

The function of the Samiti is to render advice in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the constitution, Official Languages Act and Rules and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued to the Ministry of Home Affairs/Department of Official Language relating to Official Language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Department of Civil Aviation.

III. Tenure :

The tenure of the Members of the Samiti shall ordinarily be three years from the date of its constitution provided that ;

(a) A member who is a Member of Parliament ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(a) Ex-officio Members of the Samiti shall continue as Members as long as they hold the office by virtue of which they are Members of Samiti.

(c) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death etc. of a Member, the Member appointed on the vacancy shall hold office for the residual term of three years.

IV. Allowances :

The non-official Members of the Samiti will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and its Sub-Committees at the rates fixed by the Government of India from time to time.

V. Headquarters

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, but it considered necessary, it may hold its meetings at any other place also.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAGHUNATH SAHAI, Director

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
RULES

New Delhi, the 15th April 1995

No. 11013/1/94-IES.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1995 for the purpose of filling vacancies in Grade IV of the following Services are published for general information :—

(i) The Indian Economic Service, and

(ii) The Indian Statistical Service.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A Candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate for admission to this examination, must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 28 years on 1st January, 1995 i.e. he must have been born not earlier than 2nd January, 1967 and not later than 1st January, 1974.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona-fide* repatriate of Indian origin from Kuwait or Iraq and has migrated to India from any of these countries after 15th May, 1990 but before 22nd November, 1991;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona-fide* repatriate of Indian origin from Kuwait or Iraq and has migrated to India from any of these countries after 15th May, 1990 but before 22nd November, 1991;

(iv) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(v) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof and who belongs to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe;

(vi) upto a maximum of five years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January, 1995 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st January, 1995) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or (ii) on account of Physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment;

(vii) upto a maximum of ten years in the case of ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and who have rendered at least five years Military service as on 1st January, 1995 and have been released (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within one year from 1st January, 1995) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or (ii) on account of Physical disability attributable to Military Service or (iii) or invalidment;

(viii) upto a maximum of five years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st January, 1995 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issue a certificate that they can apply for Civil employment and they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer or appointment;

(ix) upto a maximum of ten years in the case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st January 1995 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issue a certificate that they can apply for Civil employment and that they will be released on three months' notice on selection from the date of receipt of offer of appointment and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(x) upto a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates.

NOTE 1. The term Ex-serviceman will apply to the persons who are defined as 'Ex-servicemen' in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Services and Posts) Rules, 1979 as amended from time to time.

NOTE 2. Candidates falling under rule 5(b) (ii) to 5(b) (ix), who do not belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe, are not eligible for age concession if they have already joined any Government job on civil side after availing of the age concession.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate for the Indian Economic Service must have obtained a degree with Economics or Statistics as a subject and a candidate for the Indian Statistical Service must have obtained a degree with Statistics or Mathematics or Economics as a subject from any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

NOTE I—Candidates who have appeared at an examination, the passing of which would render them eligible to appear at this examination but have not been informed of the result may apply for admission to the examination. Candidates who intend to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible but their admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce the proof of having passed the requisite qualifying examination alongwith the detailed application which will be required to be submitted by the candidates who qualify on the results of the written part of the examination.

NOTE II—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualification, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

NOTE III—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign University may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employers by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission with regard to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter including, obscene language or pornographic matter, in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and /or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

12. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for *viva-voce*.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the other Backward Classes may be summoned for *viva voce* by the Commission by applying relaxed standards if the Commission are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for *viva voca* on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

13. (i) After the interview, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate in the written examination as well as interview and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

(ii) Candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the other Backward Classes may, to the extent of the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the other Backward Classes, be recommended by the Commission by a relaxed standard, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service(s).

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who have been recommended by the Commission without resorting to the relaxed standard referred to in this sub-rule shall not be adjusted against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. A candidate may compete for any one or both the Services for which he is eligible in terms of the Rules. A candidate who qualifies for both the Services on the result

of the written part of the examination will be required to indicate clearly in the detailed application form the Services for which he wishes to be considered in the order of preference so that having regard to his rank in order of merit, due consideration can be given to his preference when making appointment.

N.B. (i) No request for addition/alteration in the preferences indicated by a candidate in his detailed application form will be entertained by the Commission.

N.B. (ii) The candidates competing for both the Services will be allotted to the Services strictly in accordance with their merit position, preferences exercised by them and number of vacancies.

16. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for appointment to the Service.

17. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such physical examination as Government or, the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for *viva voce* by the Commission may be required to undergo physical examination.

NOTE—In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix III to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Service(s).

18. No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

19. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are stated in *Appendix-II*.

S. NAYAK, Deputy Economic Adviser

APPENDIX I

SCHEME OF EXAMINATION

SECTION 1

The examination shall be conducted according to the following plan —

Part I—Written examination carrying a maximum of 900 marks in the subjects as shown below.

Part II—*Viva voce* of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 250 marks.

PART-I

The subjects of the written examination under Part I, the maximum marks allotted to each subject/paper and the time allowed shall be as follows :—

A. *Indian Economic Service*

S. No.	Subject	Code No.	Maximum Marks	Time Allowed
1.	General English	01	150	3 hrs.
2.	General Studies	02	150	3 hrs.
3.	General Economics I	11	200	3 hrs.
4.	General Economics II	12	200	3 hrs.
5.	Indian Economics	13	200	3 hrs.

B. *Indian Statistical Service*

1.	General English	01	150	3 hrs.
2.	General Studies	02	150	3 hrs.
3.	Statistics I	21	200	3 hrs.
4.	Statistics II	22	200	3 hrs.
5.	Statistic III	23	200	3 hrs.

NOTE—The details of standard and syllabi for the examination are given in Section II below.

2. The question papers in all the subjects will be of Conventional (essay) type.

3. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH. QUESTION PAPERS WILL BE SET IN ENGLISH ONLY.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

6. If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account, from the total marks otherwise accruing to him.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words.

9. In the question papers wherever necessary, questions involving the use of Metric System of weights and measures only will be set.

10. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination Hall is not permitted.

11. Candidates should use only International Form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) while answering question papers.

PART-II

Viva Voca—The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview is to assess his suitability for the Service or Services for which he has competed. The interview is intended to supplement the written examination for testing the general and specialised knowledge and abilities of the candidate. The candi-

date will be expected to have taken an intelligent interest not only in his subjects of academic study but also in events which are happening around him both within and outside his own State or country as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well-educated youth.

The technique of the interview is not that of a strict cross examination, but of a natural, though directed and purposive conversation intended to reveal the candidate's mental qualities and his grasp of problems. The Board will pay special attention to assessing the intellectual curiosity, critical powers of assimilation, balance of judgement and alertness of mind, the ability for social cohesion, integrity of character, initiative and capacity for leadership.

SECTION II

STANDARD & SYLLABI

The standard of papers in General English and General Studies will be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will be that of the Master's degree examination of an Indian University in the relevant disciplines. The candidates will be expected to illustrate theory by facts, and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian problems in the field(s) of Economics/Statistics.

GENERAL ENGLISH (Code No. 01)

Candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

GENERAL STUDIES (Code No. 02)

General knowledge including knowledge of current events and of such matters of everday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on Indian Polity including the political system and the Constitution of India, History of India and Geography of a nature which a candidate should be able to answer without special study.

GENERAL ECONOMICS—I (Code No. 11)

Theory of consumer's demand : Indifference curve analysis. Revealed preference approach.

Theory of production : Factors of production. Production function. Laws of return. Equilibrium of the firm and the industry.

Theory of value . Pricing under various forms of market organisation. Public utility pricing.

Theory of distribution : Pricing of factors of production. Theories of rent, wages, interest and profit. Macro distribution theory. Adding up problem. Inequalities in income distribution.

Welfare-economics : Old and new welfare economics. The compensation principle, policy implications.

Concept of national income. Social accounting.

Theory of Employment, Output and Inflation—the classical and neo-classical approaches. Keynesian theory of employment. Post Keynesian developments.

GENERAL ECONOMICS—II (Code No. 12)

Concept of economic growth and its measurement. Theories of growth.

Characteristics and problems of developing countries. Population growth and economic development.

Planning : Concept and methods. Planning under capitalist and socialist forms of economic organisation. Planning in a mixed economy. Perspective planning. Regional Planning. Investment criteria and choice of techniques.

International economics : Theories of international trade, Grains from trade Terms of trade. Trade policy, international trade and economic development. Theory of tariffs.

Balance of payments, Disequilibrium in balance of payments, Mechanism of adjustments. Foreign trade multiplier, Exchange rates, Import and exchange controls.

I.M.F. and international monetary reforms. GATT; International aid for economic growth. I.B.R.D. and its affiliates.

Money : Its value and functions. Monetary policy. Functions of central and commercial banks.

Fiscal policy and its objectives : Theories of taxation and expenditure. Objectives and effects of public expenditure. Effects and incidence of taxation. Deficit financing. Theory of public debt.

Use of statistics in economics. Statistical averages and measures of dispersion. Index numbers of prices and quantities—their limitations.

INDIAN ECONOMICS (Code No. 13)

Basic features of the Indian economy : Development strategy : Role of agriculture and industry; Role of foreign Trade, Concept of balance growth.

Planning : Objectives, priorities and problems. Five year plans. Problems of resource mobilisation.

Agriculture : New agricultural strategy; land relations and land reforms; rural credit, role of irrigation and fertiliser; agricultural marketing. Prices of agricultural produce. Crop planning. Community development. Subsidiary occupations and rural industries.

Cooperation : Its role in rural development. Growth of cooperative movement in India.

Industry : Strategy of industrial development. Problem of location. Problems of large and small scale industries. Industrial policy. Industrial estates. Sources of industrial finance. Role of foreign capital. Public enterprises; Organisation, management control and accountability, price policy.

Labour : Employment, unemployment and under-employment. Industrial relations and labour welfare. Labour policy. Wages, prices and income policy.

Foreign Trade : Salient features of India's foreign trade,

Foreign trade policy. State trading Balance of payments.

Money and Banking : Organisation of the Indian money market. Functioning of the commercial banks and the Reserve Bank of India, Monetary policy.

Public Finance : Fiscal Policy; Growth of Public expenditure. Tax policy. Main sources of revenue of Union and State Governments. Public debt policy. Deficit financing, Union-State financial relations.

STATISTICS-I (Code No. 21)

Probability (40 percent weight)

Elements of measure theory. Classical definitions and axiomatic approach. Sample space. Laws of total and compound probability. Probability of m events out of n. Conditional probability. Bayes' theorem. Random variables—discrete and continuous. Distribution function. Standard probability distributions—Bernoulli, uniform, binominal, poisson, geometric, rectangular, exponential, normal, Cauchy, hypergeometric, multinominal, Laplace, negative binomial, beta, gamma, lognormal and compound Poisson distribution. Convergence in distribution, in probability, with probability one and in mean square. Moments and cumulants, Mathemetical expectation and conditional expectation. Characteris-

tic function and moment and probability generating functions. Inversion, uniqueness and continuity theorems. Tchebycheff's and Kolmogorov's inequalities. Laws of large numbers and central limit theorems for independent variables.

Statistical methods (45 *percent weight*)

Collection, compilation and presentation of data. Charts, diagrams and histogram. Frequency distribution. Measures of location, dispersion and skewness. Bivariate and multivariate data. Association and contingency. Curve fitting and orthogonal polynomials. Bivariate distributions. Bivariate normal distribution. Regression - linear, polynomial. Distribution of the correlation coefficient. Partial and multiple correlation. Intraclass correlation. Correlation ratio.

Standard errors and large sample tests. Sampling distributions of x, S^2, t, chi-square and F; tests of significance based on them.

Non-parametric tests - sign, median, run, Wilcoxon, Mann-Whitney, Wald-Wolfowitz etc. Rank order statistics—minimum, maximum, range and median.

Numerical Analysis (15 *percent weight*)

Interpolation formulae (with remainder terms) due to Lagrange, Newton-Gregory, Newton (Divided difference), Gauss and Stirling, Euler-Maclaurin's summation formula. Inverse interpolation Numerical integration and differentiation. Difference equations of the first order. Linear difference equations with constant co-efficients.

STATISTICS—II (*Code No.* 22)

Linear Models (25 *percent weight*)

Theory of linear estimation. Gauss-Markoff set up. Least square estimators. Use of g-inverse. Analysis of one-way and two-way classified data—fixed mixed and random effect models. Tests for regression co-efficients.

Estimation (25 *percent weight*)

Characteristics of a good estimator. Estimation methods of maximum likelihood, minimum chi-square, moments and least squares. Optimal properties of maximum likelihood estimators. Minimum variance unbiased estimators. Minimum variance bound estimators. Cramer-Rao inequality. Bhattacharya bounds. Sufficient estimator. Factorisation theorem. Complete statistics. Rao-Blackwell theorem. Confidence interval estimation, Optimum confidence bounds.

Hypothesis testing (25 *percent weight*)

Simple and composite hypothesis. Two kinds of error. Critical region. Different types of critical regions and similar regions. Power function. Most powerful and uniformly most powerful tests. Neyman-Pearson fundamental lemma Unbiased test. Randomised test. Likelihood ratio test. Wald's SPRT. OC and ASN functions. Elements of decision and game theory.

Multivariate Analysis (25 *percent weight*)

Multivariate normal distribution. Estimation of mean Vector and covariance matrix. Distribution of Hotelling's T statistic. Mahalanobis's D^2 statistic, partial and multiple correlation coefficients in samples from a multivariate normal population. Wishart's distribution, its reproductive and other properties. Wilk's criterion. Discriminant function Principal components. Canonial variates and correlations.

STATISTICS—III (*Code No.* 23)

PART (A) (Compulsory for all)

Sampling Techniques (35 *percent weight*)

Census versus sample survey. Pilot and large scale sample surveys. Sample random sampling with and without replacement. Stratified sampling and sample allocations. Cost and variance functions. Ratio and regression methods of estimation. Sampling with probability proportional to size. Cluster double, multiphase, multistage, and systematic sampling. Interpenetrating sub-sampling. Non-sampling errors.

Economic Statistics (25 *percent weight*)

Components of time series. Methods of their determination—variate difference method. Yule-Slutsky effect. Correlogram. Autoregressive models of first and second order. Periodogram analysis. Index numbers of prices and quantities and their relative merits. Construction of index numbers of wholesale and consumer prices. Income distribution—Pareto and Engel curves. Concentration curve. Methods of estimating national income. Inter-sectoral flows. Inter-industry table.

PART (B)

CANDIDATES WILL BE ALLOWED OPTION OF ANSWERING QUESTIONS ON ANY ONE OF THE FOLLOWING TOPICS

(i) *Satistical Quality Control and Operations Research* (40 *percent weight*)

Different kinds of control charts of variable and attributes. Acceptance sampling by attributes—Single, double, multiple and sequential sampling plans. OC and ASN functions. Concept of AOQL and ATI. Acceptance sampling by variable—use of Dodge—Romig and other tables.

Operations research approach Elements of linear programming. Simplex procedure. Transport and assignment problems. Principle of duality. Single and multi-period inventory control models. ABC analysis. Characteristics of a waiting line model. M/M/1, M/M/C models. General simulation problems. Replacement models for items that fail and of items that deteriorate.

(ii) *Demography and Vital Statistics* (40 *percent weight*)

The life table, its constitution and properties Makehams and Gompertz curves. National life tables. UN model life tables. Abridged life tables. Stable and stationary populations. Different birth rates. Total fertility rate. Gross and net reproduction rates. Different mortality rates. Standardised death rate. Internal and international migration : net migration. International and postcensal estimates. Projection method including logistic curve fitting. Decennial population census in India.

(iii) *Design and Analysis of Experiments* (40 *percent weight*)

Principles of design of experiments. Layout and analysis of completely randomised, block and latin square designs. Factorial experiments and confounding in 2^n and 3^n expertiments. Split-plot and strip-plot designs. Construction, and analysis of balanced and partially balanced incomplete block designs. Analysis of covariance. Analysis of non-orthogonal data. Analysis of missing and mixed plot data.

(iv) *Econometrics* (40 *percent weight*)

Theory and analysis of consumer demand—specification and estimation of demand functions. Demand elasticities. Structure and model. Estimation of parameters in single equation model—classical least squares, generalised least-square, heteroscedasticity, serial correlation, multicollinearity errors in variable model. Simultaneous equation models—Identification, rank and other conditions. Indirect least squares and two stage least squares. Short-term economic forecasting.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the two Services to which recruitment is being made through this examination.

1. Candidates selected for appointment to either of the two Services will be appointed to Grade IV of the Service on probation for a period of two years which may be extended if necessary. During the period of probation, the candidates will be required to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as the Government may determine.

2. If in the opinion of Government the work or conduct of the officer on probation is unsatisfactory or shows that

he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

3. On the expiry of the period of probation or of any extension, if the Government are of opinion that a candidate is not fit for the permanent appointment, Government may discharge him.

4. On completion of the period of probation to the satisfaction of Government, the candidate shall if considered fit for permanent appointment be confirmed in his appointment subject to the availability of substantive vacancies in permanent posts.

5. Prescribed scales of pay for the Services to which the recruitment is being made are as follows :

(a) *Indian Economic Service*

Level/Post	*Pay Scale*
1. Senior Administrative Grade Economic Adviser/Adviser	Rs. 5900—6700
2. (Non-Functional Selection Grade Direc'or/Addl. Economic Adviser)	Rs. 4500—5700
3. Dy. Junior Administrative Grade (Economic Adviser/Jt. Director)	Rs. 3700—5000
4. Senior Time Scale Asstt. Economic Adviser/Dy. Director	Rs. 3000—4500
5. Junior Time Scale Asstt. Economic Adviser/Dy. Director	Rs. 2200—4000

(b) *Indian Statistical Service*

Higher Administrative Grade (Rs. 7300—7600).

Senior Administrative Grade (Rs. 5900—6700).

Junior Administrative Grade (Rs. 3700—5000).

(Inclusive of a non-functional selection grade in the scale of Rs. 4500—5700).

Senior Time Scale (Rs. 3000—4500).

Junior Time Scale (Rs. 2200—4000).

6. Promotion to the next Grade of the Service will be made in accordance with the provisions of Indian Economic Service/Indian Statistical Service Rules, as amended from time to time.

An officer belonging to the Indian Economic Service/ Indian Statistical Service will be liable to serve anywhere in India or abroad under the Central Governmnet and may be required to serve in any post including any State Government or non-governmental organisation on deputation or af specified period.

7. Conditions of service and leave and pension etc. for officers of the two Services will be governed by the rules applicable to members of other Central Civil Services Group 'A'.

8. Conditions of Provident Fund are the same as laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

APPENDIX III

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and to enable them to ascertain the probability of their being of the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners].

The Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth the candidates should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not by the board.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels calve buttocks and shoulders touching the standard the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the interior angles of the shoulder blades, behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shouders are not thrown unwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres 84—89, 86—93 etc. In recording the measurements, fractions of less than a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed, and his weight recorded in kilograms: fraction of half a kilogram should not be noted.

6. (a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be Recorded.

(b) These shall not limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses :—

Distant Vision		Near Vision	
Better eye (Corrected Vision)	Worse eye	Better eye (Corrected vision)	Worse eye
6/9	6/9		
6/9	or		
	6/12	J-I	J-II

(d) In every case of myopia fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he should be declared unfit.

(e) *Field of Vision.*—The field of vision will be tested by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful result the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) *Night Blindness.*—Broadly there are two types of night blindness. (1) as a result of Vit. A deficiency and (2) as a result of Organic Disease of Retina—a common cause being

Retinits pigmentosa in (1) the fundus is normal generally seen in younger age-group and ill-nourished persons and improves by large doses of Vit. A and (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2) dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-retinography is required to be done. Both these tests (dark adaption and retinography) are time-consuming and require specialized set-up and equipment and thus are not possible as a routine test in a medical check-up. Because of these technical consideration it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employee.

(g) *Ocular condition other visual acuity.*—(i) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.

(ii) *Squint.*—For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard should be considered disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as disqualification, if the visual acuity is of the prescribed standard.

(iii) One eye.—If a person has one eye of if he has one eye which has normal vision and the other eye is employic or has subnormal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommend as fit such person provided the normal eye has—

(i) 6/6 distant vision and II near vision with or without glasses provided the error in any meridian is not more than 4 dioptres for distant vision.

(ii) has full field of vision.

(iii) normal colour vision wherever required.

Provided the board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

(h) *Contact Lenses.*—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye tests, the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. Blood Pressure

The board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows—

(i) With young subjects 15—25 years of the age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subject over 25 year of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 and diastolic over 90 should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro-cardiographic examination of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Mehod of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitment. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloths bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The branchial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the sytolic pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level of the column at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. The 'Silent Gap' may cause error in reading.)

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symtoms suggessive of diabets. If expect for the glycosuria the Board finds the candidate confirm to the standard of medical fitness requared they may pass the candidate fit subject to the glycosuria being non- diabetic and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Sptcialist will cary out wherever exaposal. The Medical Specialist will carry out whatever examimination clinic and laboratory he considereds necessary including a standard blood sugar tolerance test and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candiate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

The following additional points should be observed.

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got exmined by the ear specialist; provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

(1) Marked or total deafness in one ear or other ear being a rmal:	Fit for non-technical jobs if the deafess is up to 30 decibel in higher frequency.
(2) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical job if the deafness is up to 30 decibel in speech frequency of 1000 to 4000.

(3) Perforation of tympanic membrane of central or marginal type.	(i) One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present—Temporarily unfit Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below.
	(ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit.
	(iii) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
(4) Ears with Mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.	(i) Either ear normal hearing other ear Mastoid cavity. Fit for both technical and non-technical jobs.
	(ii) Mastoid cavity of both sides—Unfit for technical jobs. Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 Decibles in either ear with or without hearing aid.
(5) Persistently/discharging ear operated/Unoperated	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
(6) Chronic inflammatory/allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal Septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases
	(ii) If deviated nasal septum is present with symptoms Temporarily unfit.
(7) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or larynx—Fit.
	(ii) Hoarseness of voice of severe degree if Present then—Temporarily unfit.
(8) Benign or locally malignant tumours of the ENT	(i) Benign tumours Temprarily Unfit.
	(ii) Malignant Tumours—Unfit.
(9) Otosclerosis	If the hearing is within 30 Decibles after operation or with the help of hearing aid—Fit.
(10) Congenital defects of ear, nose or throat.	(i) If not interfering with functions—Fit.
	(ii) Stuttering of severe degree—Unfit.
(11) Nasal Poly	(i) Temporarily Unfit.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good order and that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lugs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicoso veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well-formed and developed and that there is free and perfect motion of all joints;

(j) that there is no congenital malformation or defect; disease;

(j) that there is no congenital malformation or defece;

(k) that he does bear traces of acute of chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

In case of doubt regarding health of a candidate, the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service, e.g. if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or abberation, the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist/Psychologist, etc.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The candidate filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50 - in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like, enclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeal should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates, otherwise, request for second medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The medical examination by the Appellate Medical Board would be arranged at New Delhi only and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Board would be taken by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) or Ministry of Planning (Department of Statistics) as the case may be on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension of payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and the the rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

The Board should normally consist of three members (i) a Physician (ii) a Surgeon and (iii) an Opthalmologist all of whom should as far as practicable be of equal status. A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidate appointed to the Indian Economic Service/ Indian Statistical Service are liable for field service in or out of India. In case of such a candidate the Medical Board should specifically record their opinion as to his fitness or otherwise for field service. The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In case where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum.

On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidates statement and declaation

The candidate must make the statement requirement below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below ;—

1. State your name in full (in block letters) .....

2. State your age and birth place .....

3. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwali, Assameese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'yes' or 'No' and if the answer is 'yes' state the name of the race. .....

(b) Have you ever had small pox, intermittent or any other fever enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthama, heart disease, lung diseases faintings attacks, rheumatism appendicitors .....

or

Any other disease or accidental requiring confinement to bed and medical or surgical treatment? .....

4. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cause? .....

5. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and State of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death
1			
2			
3			

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death
1			
2			
3			

6. Have you been examined by a Medical Board before? .....

7. If answer to above is 'yes' please state what Service/ Services, you were examined for .....

8. Who was the examining authority .....

9. When and where was the Medical Board held? .....

10. Results of the 10. Results of the Medical Board's examination if communicated to you or if known

I declare that all the above answers are to the best of my belief, true and correct.

Candidate's signature .....

Signed in my presence .....

Signature of the Chairman of the Board

Note—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to superannuation Allowance or Gratuity.

Report of the Medical Board on (name of candidate) ..... Physical Examination

1. General development : .... Good ..... fair ..... Poor .....

Nutrition : Thin ..... Average ..... Obese .....

Height (without shoes) ..... weight .....

Best Weight ..... When ? ..... any recent change in weight ? ..... Temperature .....

Girth of Chest :

(1) (After full inspiration) .....

(2) (After full expiration) .....

2. Skin : Any obvious disease .....

3. Eyes :

(1) Any disease .....

(1) Any disease .....

(3) Defect in colour vision .....

(4) Field of vision .....

(5) Visual acuity .....

(6) Fundus examination .....

acuity of vision	Naked eye	Strength of glasses with glasses		
		Sph.	Cyl.	Axis
Distant Vision	R.E.			
	L.E.			
Near Vision	R.E.			
	L.E.			

4. Ears : Inspection ..... Hearing : Right Ear ..... Left Ear .....

5: Glands ..... Thyroid .....

6. Condition of teeth .....

7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?

If yes, explain fully .....

8. Circulatory System :

(a) Heart Any organic lesion ? .....Rate Standing ..... After hopping 25 times .....

2 minutes after hopping .....

(b) Blood Pressure : Systolic ..... Diastolic .....

9. Abdomen : Girth ..... Tenderness ..... Hernia .....

(a) Palpable : Liver ..... Spleen ..... Kidneys ..... Tumours .....

(b) Haemorrhoids ..... Fistula .....

10. Nervous System : Indication of nervous of mental disabilities .....

11. Loco Motor System : Any abnormality .....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hyderocele, varicocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance .....

(b) Sp. Gr. .....

(c) Albumen .....

(d) Sugar .....

(e) Casts .....

(f) Cell .....

13. Report of Screening/X-ray Examination of Chest ....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ? ....

Note : In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, vide regulation 9.

15. (i) Has he been found qualified in all respect for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Economic Service and Indian Statistical Service ?

(ii) Is the candidate fit for FIELD SERVICE ?

Note : The Board should record their findings under one of the following three categories :

(i) Fit .....

(ii) Unfit on account of .....

(iii) Temporary unfit on account of .....

Chairman

Place .....

Date .....

Member

Member

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi.